भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-104

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पेलेट्स के फायदे

***104. श्री श्याम सिंह यादव:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोयले पर निर्भरता कम करने और पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में बायोमास पेलेट्स के को-फायरिंग के फायदों का पता लगाने के लिए प्रयोग किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास पेलेट्स के उत्पादन हेतु कोई विस्तृत कार्यनीति और परियोजना/कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पेलेट्स के फायदे" के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 104 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) में को-फायरिंग बायोमास के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एनटीपीसी दादरी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में एनटीपीसी - एनईटीआरए द्वारा प्रयोग किए गए हैं। इन अध्ययनों के माध्यम से, यह सुस्थापित किया गया है कि टीपीपीज में कोयले के साथ 5% से 10% बायोमास को विद्युत संयंत्र पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के सुरक्षित रूप से को-फायर किया जा सकता है। इस सीमा तक टीपीपीज़ के लिए कोयले की आवश्यकता को कम करने में और कुछ हद तक पराली जलाने के करण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

अभी तक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 2.1 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) कृषि-अवशेष आधारित बायोमास की को-फायरिंग की गई है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 2.5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक की कमी हुई है।

(ग) और (घ) : खेतों में पराली जलाने के कारण विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान देने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 जुलाई, 2021 को ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय मिशन (समर्थ) का गठन किया और दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को संशोधित बायोमास नीति जारी की गई थी, जिसमें देश में सभी टीपीपीज़ के लिए कोयले के साथ को-फायरिंग में 5% बायोमास पैलेटों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था। इस नीति में मंत्रालय के दिनांक 16.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा और संशोधन किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) जीईएम पोर्टल पर बायोमास पैलेट खरीद के लिए एक अनुकूलित विंडो उपलब्ध कराई गई है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बायोमास को ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इससे पैलेट विनिर्माताओं को बैंक ऋण सुलभतापूर्वक और तेजी से

उपलब्ध हो सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने पेलेट विनिर्माताओं को दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए एक समर्पित स्कीम शुरू की है।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सब्सिडी स्कीमें जारी की गई हैं:

i. एमएनआरई की स्कीम "बायोमास कार्यक्रम" बायोमास पैलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।
ii. सीपीसीबी दिशानिर्देश "एनसीआर में पेलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता स्कीम"

बायोमास पैलेट विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, परिकल्पित स्कीमें इस प्रकार हैं, (क) एमएनआरई जैव ऊर्जा स्कीम जिनमें पैलेट विनिर्माण संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 9 लाख रुपये प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन प्रति घंटा) अथवा 45 लाख रुपये प्रति संयंत्र प्रदान किए जाएंगे (ख) सीपीसीबी पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) निधियों के अंतर्गत पैलेटाइजेशन संयंत्र और टोरफैक्शन संयंत्र दोनों के लिए वित्तीय सहायता, अर्थात सीपीसीबी द्वारा अधिकतम 28 लाख रुपये प्रति टन संयंत्र उत्पादन क्षमता प्रति घंटे की अधिकतम राशि, अथवा 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत लागत का 40%; जो भी कम हो, एकबारगी वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी, जो प्रति प्रस्ताव अधिकतम 1.4 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के अधीन होगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1166

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

ग्रामों का विद्युतीकरण

1166. श्री मनोज तिवारी:
डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत बिहार और झारखंड के जिलों, विशेषकर संथाल परगना, सहित राज्य-वार कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत बिहार और झारखंड के जिलों सहित राज्य-वार कितने आवासों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) देश में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उन राज्यों और डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो उक्त योजना के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारंभ की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, पूरे देश में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक जनगणना 2011 के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। बिहार और झारखंड राज्य सहित पूरे देश में विद्युतीकृत किए गए आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। बिहार और झारखंड राज्यों (संथाल परगना सहित) में आवासित जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के जिला-वार ब्यौरे **अनुबंध-II(क) और II(ख)** पर संलग्न हैं।

(ख) : वर्ष 2015 से 2019 तक डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत शामिल किए गए बीपीएल घरों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं। बिहार और झारखंड राज्य में वर्ष 2015 से 2019 तक डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत शामिल किए गए बीपीएल घरों के जिला-वार ब्यौरे **अनुबंध-III(क)** और **अनुबंध-III(ख)** में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय टर्नअराउंड के लिए, दिनांक 20.11.2015 को एक स्कीम, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आरंभ की गई थी।

उदय के अंतर्गत कुल 27 राज्यों (ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और 5 संघ राज्य-क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 16 राज्यों (नामतः झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, तेलंगाना और तमिलनाडु) ने एमओयू पर व्यापक रूप से हस्ताक्षर किए, जिसमें चार वर्षों के लिए ऋण का वित्तीय पुनर्गठन और भावी हानियों का अधिग्रहण शामिल था। अन्य 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (नामतः गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव, पुदुचेरी और लक्षद्वीप) ने केवल प्रचालनात्मक सुधारों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।

उदय स्कीम को, उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के समग्र उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने समग्र सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 2016 में 23.70% से वित्तीय वर्ष 2022 में 16.42% तक कमी (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)-औसत राजस्व वसूली (एआरआर) में वित्तीय वर्ष 2016 में 0.54 प्रति केडब्ल्यूएच से वित्तीय वर्ष 2022 0.15 प्रति केडब्ल्यूएच तक कमी शामिल है। एटीएंडसी हानि और एसीएस-एआरआर अंतरों के संबंध में राज्यों के कार्य-निष्पादन के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-IV** और **अनुबंध-V** पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
कुल		**18,374**

****

अनुबंध-II(क)

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बिहार में डीडीयूजीजेवाई के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक आवासित जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के जिले-वार ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	गांवों की संख्या
1	अररिया	7
2	औरंगाबाद	30
3	बांका	85
4	बेगूसराय	4
5	भागलपुर	30
6	भोजपुर	68
7	बक्सर	82
8	दरभंगा	25
9	गया	349
10	गोपालगंज	61
11	जमुई	85
12	जहानाबाद	11
13	कैमूर (भभुआ)	141
14	कटिहार	934
15	खगरिया	109
16	किशनगंज	47
17	लखीसराय	24
18	मधेपुरा	9
19	मधुबनी	44
20	मुंगेर	31
21	मुजफ्फरपुर	67
22	नालन्दा	12
23	नवादा	20
24	पश्चिम चंपारण	61
25	पटना	85
26	पूर्व चम्पारण	5
27	पूर्णिया	74
28	रोहतास	37
29	सहरसा	106
30	समस्तीपुर	16
31	सारण	128
32	शिवहर	7
33	सीतामढ़ी	31
34	सीवान	2
35	सुपौल	40
36	वैशाली	39
कुल		**2906**

****

अनुबंध-II(ख)

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

झारखंड में डीडीयूजीजेवाई के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक आवासित जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के जिले-वार ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	गांवों की संख्या
1	बोकारो	68
2	चतरा	328
3	देवघर*	49
4	धनबाद	74
5	दुमका*	4
6	गढ़वा	156
7	गिरिडीह	182
8	गोड्डा*	1
9	गुमला	60
10	हजारीबाग	43
11	जामताड़ा*	3
12	खूंटी	125
13	कोडरमा	40
14	लातेहार	198
15	लोहरदगा	85
16	पाकुर*	46
17	पलामू	400
18	पश्चिम सिंहभूम	439
19	पूर्वी सिंहभूम	23
20	रामगढ़	10
21	रांची	93
22	साहिबगंज*	43
23	सरायकेला-खरसांवा	68
24	सिमडेगा	45
कुल		**2583**

नोट: *संथाल परगना का मुख्यालय दुमका में है, जिसमें 6 जिले जैसे गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुर शामिल हैं ।

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2015 से 2019 तक डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत शामिल किए गए बीपीएल घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	शामिल किए गए घरों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	729553
2	अरुणाचल प्रदेश	8291
3	असम	782370
4	बिहार	3385597
5	छत्तीसगढ़	163551
6	गुजरात	5060
7	हरियाणा	5419
8	हिमाचल प्रदेश	43
9	जम्मू एवं कश्मीर	53666
10	झारखंड	675174
11	कर्नाटक	369626
12	केरल	136193
13	मध्य प्रदेश	1047133
14	महाराष्ट्र	386498
15	मणिपुर	48799
16	मेघालय	2639
17	मिजोरम	1915
18	नागालैंड	60701
19	ओडिशा	1629495
20	पंजाब	
21	राजस्थान	410604
22	सिक्किम	5271
23	तमिलनाडु	23496
24	तेलंगाना	539306
25	त्रिपुरा	82019
26	उत्तर प्रदेश	2127011
27	उत्तराखंड	7251
28	पश्चिम बंगाल	81939
कुल		**12768620**

****

अनुबंध-III(क)

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बिहार राज्य में वर्ष 2015-2019 तक डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत शामिल किए गए बीपीएल घरों के जिले-वार ब्यौरे

क्रम सं.	जिले का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या (लाख में)
1	अररिया	1.26
2	अरवल	0.24
3	औरंगाबाद	0.65
4	बांका	0.62
5	बेगूसराय	0.71
6	भागलपुर	0.42
7	भोजपुर	1.01
8	बक्सर	0.50
9	दरभंगा	0.92
10	गया(दक्षिण)	1.22
11	गोपालगंज	1.11
12	जमुई	0.95
13	जहानाबाद	0.16
14	कैमूर (भभुआ)	0.38
15	कटिहार	1.58
16	खगरिया	0.90
17	किशनगंज	1.29
18	लखीसराय	0.17
19	मधेपुरा	0.92
20	मधुबनी	1.56
21	मुंगेर	0.58
22	एमएनपी के अंतर्गत मुजफ्फरपुर और वैशाली कॉम्प	0.87
23	नालन्दा	1.22
24	नवादा	0.88
25	पश्चिम चंपारण	1.67
26	पटना	0.57
27	पूर्वी चंपारण	1.86
28	पूर्णिया	1.58
29	रोहतास	0.44
30	सहरसा	0.80
31	समस्तीपुर	1.99
32	सारण	0.71
33	शेखपुरा	0.11
34	शिवहर	0.21
35	सीतामढ़ी	0.66
36	सिवान	1.08
37	सुपौल	1.30
38	वैशाली	0.73
जिला कुल		**33.86**

****

अनुबंध-III(ख)

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

झारखंड राज्य में वर्ष 2015-2019 तक डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत शामिल किए गए बीपीएल घरों के जिले-वार ब्यौरे

क्रम सं.	जिले का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या (लाख में)
1	बोकारो	0.21
2	चतरा	0.43
3	देवघर	0.22
4	धनबाद	0.22
5	दुमका	0.03
6	गढ़वा	0.82
7	गिरिडीह	0.69
8	गोड्डा	0.14
9	गुमला	0.17
10	हजारीबाग	0.14
11	जामताड़ा	0.11
12	खूंटी	0.09
13	कोडरमा	0.21
14	लातेहार	0.39
15	लोहरदगा	0.05
16	पाकुर	0.27
17	पलामू	0.52
18	पश्चिमी सिंहभूम	0.24
19	पूर्वी सिंहभूम	0.20
20	रामगढ़	0.20
21	रांची	0.35
22	साहिबगंज	0.51
23	सरायकेला-खरसावां	0.33
24	सिमडेगा	0.10
25	बीपीएल योजना	0.00
26	डी डी जी	0.11
जिला कुल		**6.75**

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियां (%)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य क्षेत्र	**23.65**	**23.77**	**21.90**	**22.12**	**21.29**	**22.78**	**16.51**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			**30.28**	**23.43**	**23.34**	**51.94**	
अंडमान और निकोबार पीडी			30.28	23.43	23.34	51.94	
आंध्र प्रदेश	**10.36**	**13.77**	**14.15**	**25.67**	**11.19**	**28.36**	**10.55**
एपीसीपीडीसीएल						22.73	10.03
एपीईपीडीसीएल	7.10	7.48	10.88	18.30	6.64	20.85	7.77
एपीएसपीडीसीएल	12.03	17.02	16.04	29.76	13.84	38.72	13.58
अरुणाचल प्रदेश	**54.58**	**53.64**	**51.08**	**52.53**	**40.09**	**52.21**	**48.89**
अरुणाचल पीडी	54.58	53.64	51.08	52.53	40.09	52.21	48.89
असम	**26.02**	**20.11**	**17.64**	**20.19**	**23.39**	**18.73**	**16.95**
एपीडीसीएल	26.02	20.11	17.64	20.19	23.39	18.73	16.95
बिहार	**43.30**	**43.34**	**33.51**	**33.30**	**39.95**	**33.27**	**32.42**
एनबीपीडीसीएल	35.73	37.85	30.46	26.97	28.94	27.78	28.90
एसबीपीडीसीएल	47.87	46.81	35.53	37.81	48.29	37.58	35.27
चंडीगढ़			**9.56**	**13.50**	**15.95**	**13.81**	**13.31**
चंडीगढ़ पीडी			9.56	13.50	15.95	13.81	13.31
छत्तीसगढ़	**22.10**	**23.87**	**20.74**	**24.96**	**19.03**	**19.65**	**18.13**
सीएसपीडीसीएल	22.10	23.87	20.74	24.96	19.03	19.65	18.13
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव			**9.46**	**5.67**	**3.70**	**4.97**	**3.77**
दमन और दीव पीडी			17.11	6.19	4.07	4.48	4.45
डीएनएचपीडीसीएल			6.55	5.45	3.56	5.17	3.50
गोवा	**19.77**	**24.33**	**10.48**	**17.61**	**15.03**	**13.09**	**13.28**
गोवा पीडी	19.77	24.33	10.48	17.61	15.03	13.09	13.28
गुजरात	**16.23**	**14.42**	**12.96**	**14.05**	**11.93**	**11.56**	**10.13**
डीजीवीसीएल	10.48	10.20	6.60	5.90	6.22	7.40	4.75
एमजीवीसीएल	11.81	11.24	11.73	10.38	11.28	9.96	8.73
पीजीवीसीएल	24.71	21.71	19.64	21.21	19.17	17.86	16.70
यूजीवीसीएल	11.53	9.17	9.32	12.01	6.88	6.76	6.71
हरियाणा	**29.27**	**26.42**	**21.78**	**18.08**	**18.26**	**17.05**	**13.72**
डीएचबीवीएनएल	26.44	23.10	19.16	15.34	16.37	16.93	13.55
यूएचबीवीएनएल	32.84	30.68	25.38	22.04	20.83	17.21	13.96
हिमाचल प्रदेश	**9.68**	**11.48**	**11.08**	**12.46**	**13.90**	**14.02**	**12.90**
एचपीएसईबीएल	9.68	11.48	11.08	12.46	13.90	14.02	12.90

जम्मू और कश्मीर	**58.75**	**59.96**	**53.67**	**49.94**	**60.46**	**59.28**	
जेकेपीडीडी	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46	59.28	
झारखंड	**33.34**	**40.83**	**44.72**	**28.33**	**37.13**	**43.09**	**33.79**
जेबीवीएनएल	33.34	40.83	44.72	28.33	37.13	43.09	33.79
कर्नाटक	**17.13**	**16.84**	**15.61**	**18.21**	**16.80**	**16.26**	**11.45**
बेस्कॉम	13.88	14.91	13.17	12.27	16.45	15.93	11.23
चेस्कॉम	13.60	19.31	13.20	20.18	21.65	20.27	11.32
गेस्कॉम	18.00	17.86	16.39	27.55	17.24	20.02	10.54
हेस्कॉम	27.63	18.35	22.84	24.89	15.31	14.16	13.50
मेस्कॉम	12.71	19.47	14.23	18.12	15.33	12.28	9.02
केरल	**12.40**	**13.42**	**12.81**	**9.10**	**13.12**	**7.80**	**7.69**
केएसईबीएल	12.40	13.42	12.81	9.10	13.12	7.80	7.69
लद्दाख							**48.29**
लद्दाख पीडी							48.29
लक्षद्वीप			**19.15**	**26.82**	**13.69**	**11.63**	
लक्षद्वीप ईडी			19.15	26.82	13.69	11.63	
मध्य प्रदेश	**27.37**	**26.80**	**30.51**	**36.63**	**30.38**	**41.47**	**22.55**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	31.09	34.29	39.00	45.02	37.17	49.04	26.40
एमपीपीएकेवीवीसीएल	25.06	19.08	18.69	25.28	20.94	30.28	11.61
एमपीपीओकेवीवीसीएल	26.10	28.00	34.84	40.38	33.89	45.39	30.98
महाराष्ट्र	**21.74**	**22.84**	**14.07**	**15.79**	**19.30**	**26.59**	**15.25**
बीईएसटी			6.36	4.18	6.34	8.18	8.41
एमएसईडीसीएल	21.74	22.84	14.38	16.23	19.80	27.17	15.46
मणिपुर	**31.72**	**33.01**	**27.46**	**25.26**	**23.30**	**20.32**	**23.62**
एमएसपीडीसीएल	31.72	33.01	27.46	25.26	23.30	20.32	23.62
मेघालय	**45.98**	**38.81**	**41.19**	**35.22**	**31.67**	**28.79**	**27.30**
मेपीडीसीएल	45.98	38.81	41.19	35.22	31.67	28.79	27.30
मिजोरम	**35.18**	**24.98**	**16.16**	**24.56**	**37.05**	**29.05**	**36.23**
मिजोरम पीडी	35.18	24.98	16.16	24.56	37.05	29.05	36.23
नागालैंड	**33.44**	**38.50**	**41.36**	**65.73**	**51.87**	**45.15**	**41.28**
नागालैंड पीडी	33.44	38.50	41.36	65.73	51.87	45.15	41.28
पुद्दुचेरी	**22.43**	**21.34**	**19.19**	**19.77**	**18.45**	**20.06**	**11.08**
पुडुचेरी पीडी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45	20.06	11.08
पंजाब	**15.88**	**14.46**	**17.31**	**11.28**	**15.11**	**18.54**	**11.67**
पीएसपीसीएल	15.88	14.46	17.31	11.28	15.11	18.54	11.67
राजस्थान	**31.59**	**27.33**	**24.07**	**28.25**	**29.86**	**26.18**	**17.49**
एवीवीएनएल	27.66	25.19	23.14	23.37	22.08	21.44	12.73
जेडीवीवीएनएल	29.67	26.17	23.49	35.20	38.26	31.00	21.88
जेवीवीएनएल	35.87	29.79	25.19	25.73	27.83	25.08	16.81
सिक्किम	**43.89**	**35.62**	**32.48**	**41.83**	**28.77**	**25.92**	**30.77**
सिक्किम पीडी	43.89	35.62	32.48	41.83	28.77	25.92	30.77
तमिलनाडु	**16.83**	**18.23**	**19.47**	**17.86**	**13.60**	**11.93**	**13.46**

टैंजेडको	16.83	18.23	19.47	17.86	13.60	11.93	13.46
तेलंगाना	**14.01**	**15.19**	**19.40**	**18.41**	**21.92**	**13.33**	**10.65**
टीएसएनपीडीसीएल	17.41	16.19	24.74	28.63	35.26	9.03	14.11
टीएसएसपीडीसीएल	12.64	14.77	17.16	13.79	15.57	15.48	9.14
त्रिपुरा	**32.68**	**28.95**	**30.04**	**38.03**	**35.71**	**37.36**	**33.25**
टीएसईसीएल	32.68	28.95	30.04	38.03	35.71	37.36	33.25
उत्तर प्रदेश	**39.76**	**40.91**	**37.80**	**33.19**	**30.05**	**27.43**	**30.52**
डीवीवीएनएल	43.13	40.62	38.89	37.12	39.75	32.09	28.62
केस्को	28.16	25.10	22.52	16.49	15.49	12.45	15.54
एमवीवीएनएल	44.58	47.27	45.29	40.62	34.14	32.20	34.88
पीएवीवीएनएल	27.12	29.73	25.97	22.27	18.64	17.85	22.29
पीयूवीवीएनएल	51.14	53.19	47.89	39.64	34.24	32.45	40.33
उत्तराखंड	**18.01**	**16.68**	**16.34**	**17.45**	**20.35**	**15.39**	**14.15**
यूपीसीएल	18.01	16.68	16.34	17.45	20.35	15.39	14.15
पश्चिम बंगाल	**28.08**	**27.83**	**26.69**	**23.00**	**20.40**	**21.34**	**16.67**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40	21.34	16.67
निजी क्षेत्र	**24.58**	**22.75**	**18.62**	**15.67**	**14.20**	**14.97**	**15.23**
दिल्ली	**12.44**	**10.79**	**9.87**	**9.12**	**8.23**	**8.94**	**8.12**
बीआरपीएल	12.60	11.13	10.53	9.04	8.33	9.64	8.95
बीवाईपीएल	16.76	12.99	10.83	10.76	8.54	9.41	7.99
टीपीडीडीएल	8.83	8.62	8.20	7.99	7.86	7.67	7.11
महाराष्ट्र				**6.81**	**6.06**	**5.85**	**5.07**
एईएमएल				8.11	9.06	8.89	6.75
टीपीएमएल				4.28	0.07	0.18	2.07
ओडिशा	**38.60**	**37.19**	**33.59**	**31.55**	**28.94**	**27.41**	**31.26**
टीपीएनओडीएल							27.13
टीपीएसओडीएल						20.47	34.26
टीपीडब्ल्यूओडीएल						22.43	30.20
टीपीसीओडीएल						25.94	33.54
नेस्को यूटीलिटी	36.32	28.13	24.41	24.61	24.45	25.59	
साउथको यूटीलिटी	44.57	43.49	40.66	41.33	36.05	35.37	
वेस्को यूटीलिटी	40.07	41.70	34.90	30.88	28.81	30.27	
सीईएसयू	36.51	36.73	35.49	32.49	29.03		
उत्तर प्रदेश			**9.08**	**9.36**	**9.73**	**9.77**	**8.50**
एनपीसीएल			9.08	9.36	9.73	9.77	8.50
पश्चिम बंगाल			**10.74**	**9.23**	**9.25**	**13.17**	**7.75**
सीईएससी			11.25	9.73	9.52	14.04	8.10
आईपीसीएल			3.20	2.68	5.87	3.52	4.02
कुल जोड़	**23.70**	**23.72**	**21.69**	**21.65**	**20.78**	**22.25**	**16.42**

****

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

	2015-16		
	एसीएस	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**
राज्य क्षेत्र	**5.31**	**4.74**	**0.57**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
अंडमान और निकोबार पीडी			
आंध्र प्रदेश	**5.60**	**4.80**	**0.80**
एपीसीपीडीसीएल			
एपीईपीडीसीएल	5.76	5.44	0.32
एपीएसपीडीसीएल	5.52	4.49	1.03
अरुणाचल प्रदेश	**5.20**	**4.71**	**0.49**
अरुणाचल पीडी	5.20	4.71	0.49
असम	**5.09**	**4.86**	**0.23**
एपीडीसीएल	5.09	4.86	0.23
बिहार	**5.06**	**4.60**	**0.46**
एनबीपीडीसीएल	5.01	4.66	0.35
एसबीपीडीसीएल	5.10	4.56	0.54
चंडीगढ़			
चंडीगढ़ पीडी			
छत्तीसगढ़	**3.90**	**3.90**	**(0.01)**
सीएसपीडीसीएल	3.90	3.90	(0.01)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव			
दमन और दीव पीडी			
डीएनएचपीडीसीएल			
गोवा	**3.80**	**3.09**	**0.71**
गोवा पीडी	3.80	3.09	0.71
गुजरात	**4.62**	**4.64**	**(0.02)**
डीजीवीसीएल	5.71	5.75	(0.04)
एमजीवीसीएल	4.95	4.94	0.01
पीजीवीसीएल	4.06	4.08	(0.01)
यूजीवीसीएल	4.23	4.27	(0.04)
हरियाणा	**5.58**	**5.42**	**0.16**
डीएचबीवीएनएल	5.49	5.32	0.17
यूएचबीवीएनएल	5.70	5.55	0.15
हिमाचल प्रदेश	**4.91**	**5.22**	**(0.31)**
एचपीएसईबीएल	4.91	5.22	(0.31)
जम्मू और कश्मीर	**4.41**	**1.41**	**3.00**
जेकेपीडीडी	4.41	1.41	3.00
झारखंड	**4.92**	**3.99**	**0.93**
जेबीवीएनएल	4.92	3.99	0.93
कर्नाटक	**5.09**	**4.76**	**0.33**
बेस्कॉम	5.05	4.88	0.17
चेस्कॉम	5.33	5.42	(0.10)
गेस्कॉम	5.14	4.79	0.35
हेस्कॉम	4.82	3.94	0.88
मेस्कॉम	5.55	5.16	0.39
केरल	**5.14**	**4.84**	**0.30**
केएसईबीएल	5.14	4.84	0.30
लद्दाख			
लद्दाख पीडी			
लक्षद्वीप			
लक्षद्वीप ईडी			
मध्य प्रदेश	**4.88**	**4.01**	**0.87**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	4.97	3.77	1.20
एमपीपीएकेवीवीसीएल	4.78	4.28	0.50
एमपीपीओकेवीवीसीएल	4.89	3.94	0.95

महाराष्ट्र	**5.16**	**4.72**	**0.43**
बीईएसटी	5.16	4.72	0.43
एमएसईडीसीएल			
मणिपुर	**4.98**	**4.96**	**0.02**
एमएसपीडीसीएल	4.98	4.96	0.02
मेघालय	4.11	3.29	0.82
मेपीडीसीएल	4.11	3.29	0.82
मिजोरम	4.86	2.79	2.06
मिजोरम पीडी	4.86	2.79	2.06
नागालैंड	5.49	5.30	0.20
नागालैंड पीडी	5.49	5.30	0.20
पुद्दुचेरी	3.80	3.82	(0.02)
पुडुचेरी पीडी	3.80	3.82	(0.02)
पंजाब	5.31	4.78	0.53
पीएसपीसीएल	5.31	4.78	0.53
राजस्थान	6.27	4.44	1.83
एवीवीएनएल	6.77	4.81	1.96
जेडीवीवीएनएल	6.09	4.28	1.80
जेवीवीएनएल	6.08	4.32	1.77
सिक्किम	4.86	2.77	2.09
सिक्किम पीडी	4.86	2.77	2.09
तमिलनाडु	6.46	5.78	0.67
टैंजेडको	6.46	5.78	0.67
तेलंगाना	5.60	4.86	0.74
टीएसएनपीडीसीएल	5.86	4.99	0.88
टीएसएसपीडीसीएल	5.49	4.81	0.68
त्रिपुरा	3.84	3.42	0.42
टीएसईसीएल	3.84	3.42	0.42
उत्तर प्रदेश	5.65	5.37	0.29
डीवीवीएनएल	6.05	5.32	0.73
केस्को	5.96	6.03	(0.07)
एमवीवीएनएल	5.89	5.70	0.19
पीएवीवीएनएल	5.26	5.05	0.21
पीयूवीवीएनएल	5.52	5.44	0.08
उत्तराखंड	3.88	3.78	0.10
यूपीसीएल	3.88	3.78	0.10
पश्चिम बंगाल	4.85	4.34	0.52
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	4.85	4.34	0.52
निजी क्षेत्र	5.27	5.32	(0.05)
दिल्ली	6.12	6.48	(0.37)
बीआरपीएल	6.52	6.89	(0.37)
बीवाईपीएल	6.52	6.29	0.23
टीपीडीडीएल	5.33	6.13	(0.81)
महाराष्ट्र			
एईएमएल			
टीपीएमएल			
ओडिशा	4.11	3.72	0.39
टीपीएनओडीएल			
टीपीएसओडीएल			
टीपीडब्ल्यूओडीएल			
टीपीसीओडीएल			
नेस्को यूटीलिटी	4.46	4.12	0.34
साउथको यूटीलिटी	3.44	3.13	0.31
वेस्को यूटीलिटी	4.02	3.80	0.22
सीईएसयू	4.22	3.62	0.61
उत्तर प्रदेश			
एनपीसीएल			
पश्चिम बंगाल			
सीईएससी			
आईपीसीएल			
कुल जोड़	5.31	4.77	0.54

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

2016-17			
	एसीएस	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)
राज्य क्षेत्र	**5.38**	**4.76**	**0.61**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
अंडमान और निकोबार पीडी			
आंध्र प्रदेश	**5.30**	**4.78**	**0.52**
एपीसीपीडीसीएल			
एपीईपीडीसीएल	5.26	5.05	0.21
एपीएसपीडीसीएल	5.32	4.65	0.67
अरुणाचल प्रदेश	**6.43**	**2.78**	**3.65**
अरुणाचल पीडी	6.43	2.78	3.65
असम	**5.15**	**5.08**	**0.06**
एपीडीसीएल	5.15	5.08	0.06
बिहार	**5.10**	**4.60**	**0.51**
एनबीपीडीसीएल	4.75	4.47	0.28
एसबीपीडीसीएल	5.35	4.69	0.67
चंडीगढ़			
चंडीगढ़ पीडी			
छत्तीसगढ़	**4.84**	**4.63**	**0.21**
सीएसपीडीसीएल	4.84	4.63	0.21
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव			
दमन और दीव पीडी			
डीएनएचपीडीसीएल			
गोवा	**4.30**	**3.61**	**0.70**
गोवा पीडी	4.30	3.61	0.70
गुजरात	**4.70**	**4.75**	**(0.05)**
डीजीवीसीएल	5.94	6.00	(0.06)
एमजीवीसीएल	4.90	5.00	(0.10)
पीजीवीसीएल	4.21	4.25	(0.04)
यूजीवीसीएल	4.21	4.25	(0.04)
हरियाणा	**5.60**	**5.56**	**0.04**
डीएचबीवीएनएल	5.40	5.41	(0.00)
यूएचबीवीएनएल	5.86	5.77	0.09
हिमाचल प्रदेश	**5.13**	**4.94**	**0.18**
एचपीएसईबीएल	5.13	4.94	0.18
जम्मू और कश्मीर	**4.13**	**1.48**	**2.65**
जेकेपीडीडी	4.13	1.48	2.65
झारखंड	**5.03**	**3.63**	**1.39**
जेबीवीएनएल	5.03	3.63	1.39
कर्नाटक	**5.41**	**4.88**	**0.53**
बेस्कॉम	5.16	5.04	0.12
चेस्कॉम	5.52	4.56	0.96
गेस्कॉम	5.58	4.88	0.70
हेस्कॉम	5.62	4.71	0.91
मेस्कॉम	5.98	4.81	1.17
केरल	**5.45**	**4.83**	**0.62**
केएसईबीएल	5.45	4.83	0.62
लद्दाख			
लद्दाख पीडी			
लक्षद्वीप			
लक्षद्वीप ईडी			
मध्य प्रदेश	**5.33**	**4.53**	**0.81**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.30	4.10	1.20
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.19	5.01	0.18
एमपीपीओकेवीवीसीएल	5.54	4.40	1.14
महाराष्ट्र	**5.29**	**4.69**	**0.59**
बीईएसटी	5.29	4.69	0.59
एमएसईडीसीएल			

मणिपुर	**4.65**	**4.60**	**0.06**
एमएसपीडीसीएल	4.65	4.60	0.06
मेघालय	5.19	3.53	1.66
मेपीडीसीएल	5.19	3.53	1.66
मिजोरम	4.98	2.87	2.12
मिजोरम पीडी	4.98	2.87	2.12
नागालैंड	5.71	4.90	0.81
नागालैंड पीडी	5.71	4.90	0.81
पुददुचेरी	4.00	3.97	0.03
पुडुचेरी पीडी	4.00	3.97	0.03
पंजाब	5.34	4.68	0.65
पीएसपीसीएल	5.34	4.68	0.65
राजस्थान	6.83	5.04	1.79
एवीवीएनएल	7.36	5.39	1.97
जेडीवीवीएनएल	6.61	4.63	1.97
जेवीवीएनएल	6.66	5.15	1.52
सिक्किम	3.94	2.74	1.20
सिक्किम पीडी	3.94	2.74	1.20
तमिलनाडु	5.70	5.21	0.50
टैंजेडको	5.70	5.21	0.50
तेलंगाना	6.05	4.82	1.23
टीएसएनपीडीसीएल	5.77	4.82	0.95
टीएसएसपीडीसीएल	6.17	4.82	1.35
त्रिपुरा	4.08	3.99	0.10
टीएसईसीएल	4.08	3.99	0.10
उत्तर प्रदेश	5.21	4.88	0.33
डीवीवीएनएल	5.30	4.59	0.71
केस्को	5.57	6.44	(0.86)
एमवीवीएनएल	5.32	4.94	0.38
पीएवीवीएनएल	4.94	4.79	0.15
पीयूवीवीएनएल	5.34	4.98	0.37
उत्तराखंड	4.23	3.98	0.24
यूपीसीएल	4.23	3.98	0.24
पश्चिम बंगाल	5.09	4.73	0.36
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.09	4.73	0.36
निजी क्षेत्र	5.47	5.36	0.12
दिल्ली	6.38	6.46	(0.08)
बीआरपीएल	7.00	6.90	0.10
बीवाईपीएल	6.39	6.25	0.14
टीपीडीडीएल	5.66	6.10	(0.45)
महाराष्ट्र			
एईएमएल			
टीपीएमएल			
ओडिशा	4.24	3.86	0.38
टीपीएनओडीएल			
टीपीएसओडीएल			
टीपीडब्ल्यूओडीएल			
टीपीसीओडीएल			
नेस्को यूटीलिटी	4.28	4.19	0.09
साउथको यूटीलिटी	3.86	3.17	0.70
वेस्को यूटीलिटी	4.37	4.07	0.30
सीईएसयू	4.26	3.74	0.52
उत्तर प्रदेश			
एनपीसीएल			
पश्चिम बंगाल			
सीईएससी			
आईपीसीएल			
कुल जोड़	5.38	4.80	0.59

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

2017-18			
	एसीएस	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**
राज्य क्षेत्र	**5.49**	**4.95**	**0.54**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**24.04**	**4.64**	**19.40**
अंडमान और निकोबार पीडी	24.04	4.64	19.40
आंध्र प्रदेश	**5.28**	**5.19**	**0.09**
एपीसीपीडीसीएल			
एपीईपीडीसीएल	5.23	5.10	0.13
एपीएसपीडीसीएल	5.31	5.23	0.07
अरुणाचल प्रदेश	**5.07**	**1.41**	**3.66**
अरुणाचल पीडी	5.07	1.41	3.66
असम	**6.12**	**6.45**	**(0.32)**
एपीडीसीएल	6.12	6.45	(0.32)
बिहार	**5.28**	**4.59**	**0.68**
एनबीपीडीसीएल	5.04	4.73	0.31
एसबीपीडीसीएल	5.46	4.49	0.97
चंडीगढ़	**4.43**	**5.55**	**(1.12)**
चंडीगढ़ पीडी	4.43	5.55	(1.12)
छत्तीसगढ़	**4.70**	**4.54**	**0.16**
सीएसपीडीसीएल	4.70	4.54	0.16
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	**3.89**	**3.96**	**(0.07)**
दमन और दीव पीडी	3.81	4.08	(0.26)
डीएनएचपीडीसीएल	3.92	3.91	0.01
गोवा	**4.01**	**4.24**	**(0.23)**
गोवा पीडी	4.01	4.24	(0.23)
गुजरात	**4.71**	**4.76**	**(0.06)**
डीजीवीसीएल	5.95	6.00	(0.06)
एमजीवीसीएल	4.94	5.03	(0.09)
पीजीवीसीएल	4.23	4.28	(0.05)
यूजीवीसीएल	4.25	4.29	(0.05)
हरियाणा	**5.56**	**5.64**	**(0.08)**
डीएचबीवीएनएल	5.28	5.32	(0.04)
यूएचबीवीएनएल	5.94	6.07	(0.12)
हिमाचल प्रदेश	**5.09**	**5.06**	**0.03**
एचपीएसईबीएल	5.09	5.06	0.03
जम्मू और कश्मीर	**4.05**	**2.20**	**1.85**
जेकेपीडीडी	4.05	2.20	1.85
झारखंड	**5.37**	**5.21**	**0.16**
जेबीवीएनएल	5.37	5.21	0.16
कर्नाटक	**5.83**	**5.46**	**0.36**
बेस्कॉम	5.68	5.76	(0.08)
चेस्कॉम	5.79	5.14	0.65
गेस्कॉम	5.86	5.35	0.51
हेस्कॉम	6.23	5.03	1.20
मेस्कॉम	5.74	5.34	0.40
केरल	**5.45**	**5.14**	**0.32**
केएसईबीएल	5.45	5.14	0.32
लद्दाख			
लद्दाख पीडी			
लक्षद्वीप	**23.45**	**4.34**	**19.11**
लक्षद्वीप ईडी	23.45	4.34	19.11
मध्य प्रदेश	**5.59**	**4.72**	**0.88**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.60	4.30	1.30
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.54	5.33	0.21
एमपीपीओकेवीवीसीएल	5.65	4.47	1.19
महाराष्ट्र	**5.44**	**5.20**	**0.25**
बीईएसटी	5.40	5.10	0.31

एमएसईडीसीएल	6.45	7.74	(1.29)
मणिपुर	**5.35**	**5.27**	**0.08**
एमएसपीडीसीएल	5.35	5.27	0.08
मेघालय	4.71	3.55	1.16
मेपीडीसीएल	4.71	3.55	1.16
मिजोरम	7.19	5.06	2.13
मिजोरम पीडी	7.19	5.06	2.13
नागालैंड	6.02	5.21	0.81
नागालैंड पीडी	6.02	5.21	0.81
पुद्दुचेरी	4.37	4.38	(0.02)
पुडुचेरी पीडी	4.37	4.38	(0.02)
पंजाब	5.54	5.06	0.48
पीएसपीसीएल	5.54	5.06	0.48
राजस्थान	6.87	5.38	1.49
एवीवीएनएल	7.20	5.69	1.51
जेडीवीवीएनएल	6.77	5.00	1.77
जेवीवीएनएल	6.73	5.48	1.25
सिक्किम	3.52	3.26	0.25
सिक्किम पीडी	3.52	3.26	0.25
तमिलनाडु	6.33	4.92	1.41
टैंजेडको	6.33	4.92	1.41
तेलंगाना	5.68	4.56	1.11
टीएसएनपीडीसीएल	5.65	4.43	1.22
टीएसएसपीडीसीएल	5.68	4.62	1.06
त्रिपुरा	4.20	4.28	(0.08)
टीएसईसीएल	4.20	4.28	(0.08)
उत्तर प्रदेश	5.21	4.76	0.46
डीवीवीएनएल	5.39	4.49	0.90
केस्को	6.88	7.05	(0.17)
एमवीवीएनएल	5.31	5.10	0.21
पीएवीवीएनएल	5.10	4.66	0.44
पीयूवीवीएनएल	4.89	4.53	0.36
उत्तराखंड	4.47	4.29	0.18
यूपीसीएल	4.47	4.29	0.18
पश्चिम बंगाल	5.17	4.96	0.22
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.17	4.96	0.22
निजी क्षेत्र	5.68	5.78	(0.10)
दिल्ली	6.52	6.61	(0.08)
बीआरपीएल	6.80	6.81	(0.01)
बीवाईपीएल	7.07	6.64	0.43
टीपीडीडीएल	5.80	6.33	(0.53)
महाराष्ट्र			
एईएमएल			
टीपीएमएल			
ओडिशा	4.31	3.99	0.32
टीपीएनओडीएल			
टीपीएसओडीएल			
टीपीडब्ल्यूओडीएल			
टीपीसीओडीएल			
नेस्को यूटीलिटी	4.30	4.15	0.15
साउथको यूटीलिटी	3.78	3.24	0.54
वेस्को यूटीलिटी	4.48	4.45	0.03
सीईएसयू	4.39	3.79	0.59
उत्तर प्रदेश	5.39	7.16	(1.77)
एनपीसीएल	5.39	7.16	(1.77)
पश्चिम बंगाल	6.18	6.92	(0.74)
सीईएससी	6.14	6.92	(0.77)
आईपीसीएल	6.67	6.93	(0.26)
कुल जोड़	5.50	5.00	0.50

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

2018-19			
	एसीएस	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)
राज्य क्षेत्र	**5.99**	**5.27**	**0.72**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**23.87**	**4.68**	**19.19**
अंडमान और निकोबार पीडी	23.87	4.68	19.19
आंध्र प्रदेश	**7.50**	**4.88**	**2.63**
एपीसीपीडीसीएल			
एपीईपीडीसीएल	7.44	5.11	2.33
एपीएसपीडीसीएल	7.54	4.75	2.79
अरुणाचल प्रदेश	**7.47**	**3.01**	**4.47**
अरुणाचल पीडी	7.47	3.01	4.47
असम	**6.53**	**6.85**	**(0.32)**
एपीडीसीएल	6.53	6.85	(0.32)
बिहार	**5.94**	**5.33**	**0.61**
एनबीपीडीसीएल	6.07	5.60	0.47
एसबीपीडीसीएल	5.84	5.11	0.73
चंडीगढ़	**4.26**	**4.90**	**(0.64)**
चंडीगढ़ पीडी	4.26	4.90	(0.64)
छत्तीसगढ़	**4.79**	**4.55**	**0.24**
सीएसपीडीसीएल	4.79	4.55	0.24
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	**4.48**	**4.32**	**0.16**
दमन और दीव पीडी	4.22	3.61	0.61
डीएनएचपीडीसीएल	4.59	4.61	(0.02)
गोवा	**4.42**	**4.15**	**0.27**
गोवा पीडी	4.42	4.15	0.27
गुजरात	**4.93**	**4.95**	**(0.02)**
डीजीवीसीएल	6.06	6.08	(0.02)
एमजीवीसीएल	5.23	5.28	(0.05)
पीजीवीसीएल	4.51	4.53	(0.02)
यूजीवीसीएल	4.49	4.51	(0.02)
हरियाणा	**5.71**	**5.76**	**(0.05)**
डीएचबीवीएनएल	5.41	5.43	(0.03)
यूएचबीवीएनएल	6.15	6.23	(0.08)
हिमाचल प्रदेश	**5.14**	**5.23**	**(0.09)**
एचपीएसईबीएल	5.14	5.23	(0.09)
जम्मू और कश्मीर	**4.19**	**2.47**	**1.72**
जेकेपीडीडी	4.19	2.47	1.72
झारखंड	**5.26**	**4.70**	**0.57**
जेबीवीएनएल	5.26	4.70	0.57
कर्नाटक	**6.11**	**5.42**	**0.69**
बेस्कॉम	6.64	5.94	0.70
चेस्कॉम	5.53	5.27	0.25
गेस्कॉम	5.57	5.03	0.54
हेस्कॉम	5.94	4.61	1.33
मेस्कॉम	5.17	5.29	(0.11)
केरल	**5.36**	**5.31**	**0.05**
केएसईबीएल	5.36	5.31	0.05
लद्दाख			
लद्दाख पीडी			
लक्षद्वीप	**25.61**	**4.24**	**21.37**
लक्षद्वीप ईडी	25.61	4.24	21.37
मध्य प्रदेश	**5.81**	**4.48**	**1.33**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.98	4.11	1.87
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.64	5.06	0.58
एमपीपीओकेवीवीसीएल	5.82	4.22	1.60
महाराष्ट्र	**6.16**	**6.35**	**(0.20)**
बीईएसटी	6.15	6.31	(0.16)
एमएसईडीसीएल	6.34	7.63	(1.30)
मणिपुर	**6.38**	**6.32**	**0.06**

एमएसपीडीसीएल	6.38	6.32	0.06
मेघालय	4.96	4.11	0.85
मेपीडीसीएल	4.96	4.11	0.85
मिजोरम	7.56	3.77	3.79
मिजोरम पीडी	7.56	3.77	3.79
नागालैंड	8.02	6.72	1.30
नागालैंड पीडी	8.02	6.72	1.30
पुददुचेरी	4.75	4.62	0.13
पुडुचेरी पीडी	4.75	4.62	0.13
पंजाब	5.94	6.01	(0.07)
पीएसपीसीएल	5.94	6.01	(0.07)
राजस्थान	6.56	5.06	1.50
एवीवीएनएल	7.10	5.57	1.53
जेडीवीवीएनएल	6.26	4.48	1.78
जेवीवीएनएल	6.46	5.21	1.24
सिक्किम	3.41	3.39	0.02
सिक्किम पीडी	3.41	3.39	0.02
तमिलनाडु	6.69	4.89	1.80
टैंजेडको	6.69	4.89	1.80
तेलंगाना	6.36	4.98	1.38
टीएसएनपीडीसीएल	6.44	4.64	1.80
टीएसएसपीडीसीएल	6.32	5.13	1.19
त्रिपुरा	4.29	4.43	(0.14)
टीएसईसीएल	4.29	4.43	(0.14)
उत्तर प्रदेश	6.39	5.84	0.54
डीवीवीएनएल	6.46	5.47	0.99
केस्को	8.55	7.25	1.29
एमवीवीएनएल	6.87	6.50	0.38
पीएवीवीएनएल	5.99	5.60	0.39
पीयूवीवीएनएल	6.14	5.76	0.37
उत्तराखंड	4.90	4.34	0.56
यूपीसीएल	4.90	4.34	0.56
पश्चिम बंगाल	5.50	5.22	0.28
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.50	5.22	0.28
निजी क्षेत्र	6.05	6.20	(0.15)
दिल्ली	6.57	6.79	(0.22)
बीआरपीएल	6.92	7.17	(0.25)
बीवाईपीएल	6.55	6.71	(0.16)
टीपीडीडीएल	6.17	6.40	(0.23)
महाराष्ट्र	6.75	7.63	(0.88)
एईएमएल	7.06	7.69	(0.63)
टीपीएमएल	6.16	7.52	(1.36)
ओडिशा	4.75	4.15	0.60
टीपीएनओडीएल			
टीपीएसओडीएल			
टीपीडब्ल्यूओडीएल			
टीपीसीओडीएल			
नेस्को यूटीलिटी	4.43	4.42	0.00
साउथको यूटीलिटी	3.94	3.36	0.58
वेस्को यूटीलिटी	5.72	4.54	1.18
सीईएसयू	4.45	3.96	0.49
उत्तर प्रदेश	6.28	7.18	(0.90)
एनपीसीएल	6.28	7.18	(0.90)
पश्चिम बंगाल	6.41	6.92	(0.52)
सीईएससी	6.39	6.94	(0.55)
आईपीसीएल	6.63	6.73	(0.10)
कुल जोड़	6.00	5.34	0.66

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

2019-20			
	एसीएस	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**
राज्य क्षेत्र	**6.11**	**5.56**	**0.56**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**24.17**	**4.94**	**19.24**
अंडमान और निकोबार पीडी	24.17	4.94	19.24
आंध्र प्रदेश	**5.94**	**6.10**	**(0.16)**
एपीसीपीडीसीएल			
एपीईपीडीसीएल	5.61	5.72	(0.11)
एपीएसपीडीसीएल	6.10	6.29	(0.18)
अरुणाचल प्रदेश	**7.67**	**7.67**	**0.00**
अरुणाचल पीडी	7.67	7.67	0.00
असम	**5.46**	**6.50**	**(1.04)**
एपीडीसीएल	5.46	6.50	(1.04)
बिहार	**6.26**	**5.35**	**0.91**
एनबीपीडीसीएल	6.65	6.08	0.57
एसबीपीडीसीएल	5.95	4.76	1.19
चंडीगढ़	**4.16**	**4.44**	**(0.27)**
चंडीगढ़ पीडी	4.16	4.44	(0.27)
छत्तीसगढ़	**4.78**	**4.62**	**0.16**
सीएसपीडीसीएल	4.78	4.62	0.16
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	**4.97**	**4.84**	**0.13**
दमन और दीव पीडी	4.74	4.23	0.52
डीएनएचपीडीसीएल	5.06	5.09	(0.03)
गोवा	**4.64**	**4.04**	**0.61**
गोवा पीडी	4.64	4.04	0.61
गुजरात	**5.42**	**5.48**	**(0.05)**
डीजीवीसीएल	6.61	6.68	(0.06)
एमजीवीसीएल	5.61	5.71	(0.10)
पीजीवीसीएल	4.96	5.00	(0.04)
यूजीवीसीएल	5.00	5.05	(0.05)
हरियाणा	**5.65**	**5.71**	**(0.06)**
डीएचबीवीएनएल	5.51	5.55	(0.04)
यूएचबीवीएनएल	5.83	5.92	(0.09)
हिमाचल प्रदेश	**5.06**	**5.09**	**(0.03)**
एचपीएसईबीएल	5.06	5.09	(0.03)
जम्मू और कश्मीर	**4.18**	**2.15**	**2.03**
जेकेपीडीडी	4.18	2.15	2.03
झारखंड	**6.33**	**5.45**	**0.87**
जेबीवीएनएल	6.33	5.45	0.87
कर्नाटक	**6.59**	**6.22**	**0.37**
बेस्कॉम	7.13	6.56	0.57
चेस्कॉम	5.64	5.38	0.26
गेस्कॉम	6.87	6.14	0.73
हेस्कॉम	5.81	5.98	(0.17)
मेस्कॉम	6.23	6.10	0.13
केरल	**5.63**	**5.53**	**0.10**
केएसईबीएल	5.63	5.53	0.10
लद्दाख			
लद्दाख पीडी			
लक्षद्वीप	**25.18**	**4.60**	**20.58**
लक्षद्वीप ईडी	25.18	4.60	20.58
मध्य प्रदेश	**5.77**	**5.08**	**0.69**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.69	4.88	0.81
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.63	5.54	0.09
एमपीपीओकेवीवीसीएल	6.02	4.75	1.27
महाराष्ट्र	**6.69**	**6.34**	**0.36**
बीईएसटी	6.70	6.30	0.39
एमएसईडीसीएल	6.63	7.22	(0.59)
मणिपुर	**7.00**	**6.94**	**0.06**

एमएसपीडीसीएल	7.00	6.94	0.06
मेघालय	5.71	3.85	1.86
मेपीडीसीएल	5.71	3.85	1.86
मिजोरम	8.38	5.07	3.30
मिजोरम पीडी	8.38	5.07	3.30
नागालैंड	7.32	1.86	5.45
नागालैंड पीडी	7.32	1.86	5.45
पुददुचेरी	5.78	4.81	0.97
पुडुचेरी पीडी	5.78	4.81	0.97
पंजाब	6.07	5.90	0.17
पीएसपीसीएल	6.07	5.90	0.17
राजस्थान	6.81	5.32	1.49
एवीवीएनएल	6.89	6.15	0.74
जेडीवीवीएनएल	6.83	4.51	2.31
जेवीवीएनएल	6.73	5.45	1.29
सिक्किम	5.22	3.51	1.71
सिक्किम पीडी	5.22	3.51	1.71
तमिलनाडु	6.76	5.01	1.75
टैंजेडको	6.76	5.01	1.75
तेलंगाना	6.41	5.33	1.09
टीएसएनपीडीसीएल	6.28	5.48	0.80
टीएसएसपीडीसीएल	6.48	5.25	1.22
त्रिपुरा	4.90	4.60	0.30
टीएसईसीएल	4.90	4.60	0.30
उत्तर प्रदेश	6.39	6.04	0.34
डीवीवीएनएल	5.89	5.66	0.22
केस्को	8.06	7.44	0.62
एमवीवीएनएल	6.70	6.37	0.33
पीएवीवीएनएल	6.28	5.97	0.31
पीयूवीवीएनएल	6.50	6.02	0.48
उत्तराखंड	4.94	4.74	0.21
यूपीसीएल	4.94	4.74	0.21
पश्चिम बंगाल	5.82	5.40	0.42
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.82	5.40	0.42
निजी क्षेत्र	6.39	6.50	(0.12)
दिल्ली	7.42	7.22	0.20
बीआरपीएल	7.57	7.21	0.36
बीवाईपीएल	7.16	6.75	0.41
टीपीडीडीएल	7.41	7.59	(0.17)
महाराष्ट्र	6.71	7.91	(1.20)
एईएमएल	6.98	7.88	(0.90)
टीपीएमएल	6.17	7.98	(1.81)
ओडिशा	4.78	4.44	0.34
टीपीएनओडीएल			
टीपीएसओडीएल			
टीपीडब्ल्यूओडीएल			
टीपीसीओडीएल			
नेस्को यूटीलिटी	4.86	4.60	0.26
साउथको यूटीलिटी	4.81	3.84	0.97
वेस्को यूटीलिटी	4.88	4.84	0.04
सीईएसयू	4.64	4.23	0.41
उत्तर प्रदेश	6.35	7.17	(0.83)
एनपीसीएल	6.35	7.17	(0.83)
पश्चिम बंगाल	6.48	6.97	(0.49)
सीईएससी	6.54	7.05	(0.52)
आईपीसीएल	5.76	5.82	(0.06)
कुल जोड़	6.13	5.62	0.51

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

2020-21			
	एसीएस	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)**
राज्य क्षेत्र	**6.17**	**5.42**	**0.75**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**27.99**	**4.90**	**23.08**
अंडमान और निकोबार पीडी	27.99	4.90	23.08
आंध्र प्रदेश	**6.51**	**5.50**	**1.01**
एपीसीपीडीसीएल	6.60	5.74	0.86
एपीईपीडीसीएल	6.76	5.77	0.99
एपीएसपीडीसीएल	6.28	5.20	1.08
अरुणाचल प्रदेश	**7.14**	**7.14**	**-**
अरुणाचल पीडी	7.14	7.14	-
असम	**6.77**	**6.67**	**0.10**
एपीडीसीएल	6.77	6.67	0.10
बिहार	**6.22**	**5.33**	**0.89**
एनबीपीडीसीएल	6.25	5.18	1.07
एसबीपीडीसीएल	6.20	5.45	0.74
चंडीगढ़	**4.30**	**4.72**	**(0.42)**
चंडीगढ़ पीडी	4.30	4.72	(0.42)
छत्तीसगढ़	**4.72**	**4.52**	**0.20**
सीएसपीडीसीएल	4.72	4.52	0.20
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	**4.62**	**4.97**	**(0.35)**
दमन और दीव पीडी	4.70	4.75	(0.05)
डीएनएचपीडीसीएल	4.59	5.06	(0.47)
गोवा	**4.80**	**4.55**	**0.24**
गोवा पीडी	4.80	4.55	0.24
गुजरात	**5.15**	**5.22**	**(0.07)**
डीजीवीसीएल	6.16	6.24	(0.07)
एमजीवीसीएल	5.52	5.63	(0.11)
पीजीवीसीएल	4.71	4.77	(0.06)
यूजीवीसीएल	4.83	4.88	(0.05)
हरियाणा	**5.22**	**5.33**	**(0.12)**
डीएचबीवीएनएल	5.08	5.16	(0.08)
यूएचबीवीएनएल	5.40	5.57	(0.18)
हिमाचल प्रदेश	**5.14**	**5.03**	**0.11**
एचपीएसईबीएल	5.14	5.03	0.11
जम्मू और कश्मीर	**4.13**	**2.32**	**1.81**
जेकेपीडीडी	4.13	2.32	1.81
झारखंड	**6.09**	**4.17**	**1.92**
जेबीवीएनएल	6.09	4.17	1.92
कर्नाटक	**7.14**	**6.31**	**0.83**
बेस्कॉम	7.26	6.56	0.69
चेस्कॉम	6.80	5.73	1.07
गेस्कॉम	6.89	6.00	0.90
हेस्कॉम	7.29	6.27	1.02
मेस्कॉम	7.01	6.29	0.72
केरल	**6.02**	**5.84**	**0.18**
केएसईबीएल	6.02	5.84	0.18
लद्दाख			
लद्दाख पीडी			
लक्षद्वीप	**23.70**	**4.26**	**19.44**
लक्षद्वीप ईडी	23.70	4.26	19.44
मध्य प्रदेश	**5.85**	**4.62**	**1.23**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.63	4.40	1.23
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.93	5.18	0.74
एमपीपीओकेवीवीसीएल	6.02	4.24	1.77
महाराष्ट्र	**6.34**	**5.81**	**0.53**
बीईएसटी	6.30	5.77	0.52
एमएसईडीसीएल	7.88	7.17	0.71
मणिपुर	**6.70**	**6.63**	**0.07**

एमएसपीडीसीएल	6.70	6.63	0.07
मेघालय	5.12	4.72	0.40
मेपीडीसीएल	5.12	4.72	0.40
मिजोरम	11.19	6.26	4.94
मिजोरम पीडी	11.19	6.26	4.94
नागालैंड	7.77	1.94	5.83
नागालैंड पीडी	7.77	1.94	5.83
पुद्दुचेरी	4.97	4.93	0.04
पुडुचेरी पीडी	4.97	4.93	0.04
पंजाब	5.65	5.66	(0.01)
पीएसपीसीएल	5.65	5.66	(0.01)
राजस्थान	6.68	5.99	0.69
एवीवीएनएल	6.67	6.31	0.36
जेडीवीवीएनएल	6.68	5.49	1.19
जेवीवीएनएल	6.67	6.21	0.46
सिक्किम	4.36	4.09	0.27
सिक्किम पीडी	4.36	4.09	0.27
तमिलनाडु	7.17	5.13	2.04
टैंजेडको	7.17	5.13	2.04
तेलंगाना	6.46	5.39	1.06
टीएसएनपीडीसीएल	6.43	5.32	1.11
टीएसएसपीडीसीएल	6.47	5.43	1.04
त्रिपुरा	4.83	4.85	(0.01)
टीएसईसीएल	4.83	4.85	(0.01)
उत्तर प्रदेश	6.86	5.92	0.94
डीवीवीएनएल	5.98	5.11	0.87
केस्को	9.58	9.07	0.51
एमवीवीएनएल	7.12	6.74	0.38
पीएवीवीएनएल	7.18	6.06	1.12
पीयूवीवीएनएल	6.75	5.45	1.31
उत्तराखंड	4.74	4.65	0.10
यूपीसीएल	4.74	4.65	0.10
पश्चिम बंगाल	6.12	5.16	0.96
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	6.12	5.16	0.96
निजी क्षेत्र	6.20	6.37	(0.17)
दिल्ली	7.25	7.88	(0.63)
बीआरपीएल	7.71	8.44	(0.73)
बीवाईपीएल	7.06	8.11	(1.05)
टीपीडीडीएल	6.80	6.98	(0.18)
महाराष्ट्र	6.79	6.41	0.38
एईएमएल	7.18	6.71	0.47
टीपीएमएल	6.08	5.85	0.23
ओडिशा	4.43	4.08	0.35
टीपीएनओडीएल			
टीपीएसओडीएल	3.87	4.22	(0.35)
टीपीडब्ल्यूओडीएल	4.32	4.82	(0.50)
टीपीसीओडीएल	3.63	3.56	0.07
नेस्को यूटीलिटी	4.81	4.56	0.25
साउथको यूटीलिटी	5.25	3.65	1.60
वेस्को यूटीलिटी	5.05	4.37	0.68
सीईएसयू			
उत्तर प्रदेश	5.76	7.31	(1.55)
एनपीसीएल	5.76	7.31	(1.55)
पश्चिम बंगाल	6.65	7.04	(0.39)
सीईएससी	6.75	7.14	(0.39)
आईपीसीएल	5.52	5.90	(0.39)
कुल जोड़	6.17	5.48	0.69

एसीएस-एआरआर अंतर

रु./केडब्ल्यूएच

2021-22			
	एसीएस	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर अंतर (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के तहत नियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)
राज्य क्षेत्र	**6.29**	**6.11**	**0.18**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
अंडमान और निकोबार पीडी			
आंध्र प्रदेश	**6.31**	**5.97**	**0.34**
एपीसीपीडीसीएल	6.81	6.24	0.56
एपीईपीडीसीएल	6.18	6.24	(0.06)
एपीएसपीडीसीएल	6.19	5.66	0.53
अरुणाचल प्रदेश	**6.43**	**2.65**	**3.78**
अरुणाचल पीडी	6.43	2.65	3.78
असम	**6.36**	**6.66**	**(0.30)**
एपीडीसीएल	6.36	6.66	(0.30)
बिहार	**6.41**	**5.77**	**0.65**
एनबीपीडीसीएल	6.48	5.80	0.68
एसबीपीडीसीएल	6.36	5.74	0.62
चंडीगढ़	**4.63**	**4.13**	**0.50**
चंडीगढ़ पीडी	4.63	4.13	0.50
छत्तीसगढ़	**5.01**	**4.80**	**0.21**
सीएसपीडीसीएल	5.01	4.80	0.21
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	**4.93**	**5.09**	**(0.16)**
दमन और दीव पीडी	5.08	5.23	(0.16)
डीएनएचपीडीसीएल	4.88	5.04	(0.17)
गोवा	**5.13**	**4.55**	**0.58**
गोवा पीडी	5.13	4.55	0.58
गुजरात	**5.57**	**5.62**	**(0.06)**
डीजीवीसीएल	6.45	6.50	(0.04)
एमजीवीसीएल	5.67	5.77	(0.10)
पीजीवीसीएल	5.15	5.20	(0.06)
यूजीवीसीएल	5.29	5.33	(0.04)
हरियाणा	**5.61**	**5.76**	**(0.15)**
डीएचबीवीएनएल	5.55	5.60	(0.05)
यूएचबीवीएनएल	5.70	5.98	(0.28)
हिमाचल प्रदेश	**5.27**	**5.17**	**0.10**
एचपीएसईबीएल	5.27	5.17	0.10
जम्मू और कश्मीर			
जेकेपीडीडी			
झारखंड	**6.29**	**5.06**	**1.23**
जेबीवीएनएल	6.29	5.06	1.23
कर्नाटक	**7.26**	**7.89**	**(0.64)**
बेस्कॉम	7.38	7.74	(0.36)
चेस्कॉम	6.61	7.57	(0.95)
गेस्कॉम	7.44	8.42	(0.98)
हेस्कॉम	7.67	8.11	(0.44)
मेस्कॉम	6.22	7.86	(1.64)
केरल	**5.55**	**5.80**	**(0.25)**
केएसईबीएल	5.55	5.80	(0.25)
लद्दाख	**5.64**	**5.21**	**0.42**
लद्दाख पीडी	5.64	5.21	0.42
लक्षद्वीप			
लक्षद्वीप ईडी			
मध्य प्रदेश	**6.02**	**5.76**	**0.26**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.64	5.64	(0.01)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	6.71	6.08	0.63
एमपीपीओकेवीवीसीएल	5.65	5.51	0.13
महाराष्ट्र	**6.42**	**6.47**	**(0.05)**
बीईएसटी	6.36	6.45	(0.09)
एमएसईडीसीएल	8.46	7.08	1.38
मणिपुर	**7.19**	**6.94**	**0.25**

एमएसपीडीसीएल	7.19	6.94	0.25
मेघालय	5.39	4.77	0.62
मेपीडीसीएल	5.39	4.77	0.62
मिजोरम	10.33	5.92	4.41
मिजोरम पीडी	10.33	5.92	4.41
नागालैंड	8.11	2.39	5.72
नागालैंड पीडी	8.11	2.39	5.72
पुद्दुचेरी	5.26	5.49	(0.23)
पुडुचेरी पीडी	5.26	5.49	(0.23)
पंजाब	5.64	5.91	(0.27)
पीएसपीसीएल	5.64	5.91	(0.27)
राजस्थान	6.37	6.62	(0.25)
एवीवीएनएल	6.46	7.03	(0.56)
जेडीवीवीएनएल	6.42	6.28	0.14
जेवीवीएनएल	6.25	6.64	(0.39)
सिक्किम	4.28	4.28	(0.00)
सिक्किम पीडी	4.28	4.28	(0.00)
तमिलनाडु	7.48	5.79	1.68
टैंजेडको	7.48	5.79	1.68
तेलंगाना	6.61	6.52	0.08
टीएसएनपीडीसीएल	6.91	6.82	0.09
टीएसएसपीडीसीएल	6.48	6.40	0.08
त्रिपुरा	5.34	5.00	0.34
टीएसईसीएल	5.34	5.00	0.34
उत्तर प्रदेश	7.42	6.86	0.56
डीवीवीएनएल	6.91	5.76	1.15
केस्को	8.59	8.01	0.57
एमवीवीएनएल	8.41	7.57	0.84
पीएवीवीएनएल	7.18	6.98	0.20
पीयूवीवीएनएल	7.15	6.95	0.20
उत्तराखंड	4.90	4.90	(0.00)
यूपीसीएल	4.90	4.90	(0.00)
पश्चिम बंगाल	5.22	5.42	(0.20)
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.22	5.42	(0.20)
निजी क्षेत्र	6.22	6.54	(0.32)
दिल्ली	6.86	7.07	(0.21)
बीआरपीएल	7.23	7.51	(0.28)
बीवाईपीएल	6.91	6.91	0.00
टीपीडीडीएल	6.39	6.68	(0.29)
महाराष्ट्र	7.36	7.71	(0.35)
एईएमएल	7.62	8.08	(0.45)
टीपीएमएल	6.88	7.06	(0.18)
ओडिशा	4.61	4.99	(0.37)
टीपीएनओडीएल	5.01	5.25	(0.24)
टीपीएसओडीएल	4.18	4.40	(0.22)
टीपीडब्ल्यूओडीएल	4.55	5.29	(0.74)
टीपीसीओडीएल	4.63	4.77	(0.14)
नेस्को यूटीलिटी			
साउथको यूटीलिटी			
वेस्को यूटीलिटी			
सीईएसयू			
उत्तर प्रदेश	6.47	7.58	(1.11)
एनपीसीएल	6.47	7.58	(1.11)
पश्चिम बंगाल	6.80	7.06	(0.26)
सीईएससी	6.85	7.16	(0.31)
आईपीसीएल	6.26	5.98	0.28
कुल जोड़	6.29	6.14	0.15

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1199

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

सौभाग्य योजना

1199. श्री मनोज कोटक:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विशेषकर महाराष्ट्र के गढ़चिरोली, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कंधमाल और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामत: असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, कुछ राज्यों ने सूचित किया था कि कुछ घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तद्नुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है।

(ख) : सौभाग्य के कार्यान्वयन संबंधी चरण के दौरान, विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर पूरे देश के लिए इस स्कीम की नियमित निगरानी की गई थी। सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और समापन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थेः

i. केंद्रीय स्तर पर, सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में सौभाग्य पर एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति ने और भारत सरकार ने स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी की। इसके साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय की समीक्षा, आयोजना और निगरानी (आरपीएम) बैठकों में राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों के साथ स्कीम की प्रगति की समीक्षा भी की जा रही थी।
ii. राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रगति की निगरानी की। इसके अतिरिक्त, मासिक आधार पर और पाक्षिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की गई।
iii. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी), नोडल एजेंसी, ने क्षेत्रीय स्तर पर अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी की।
iv. जिला स्तर पर, (दिशा) जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठकों जिले के वरिष्ठतम माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिला विद्युत समिति (डीईसी) के तत्वावधान और संयोजक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के साथ सह-अध्यक्षता करते हुए जिले के अन्य संसद सदस्य द्वारा प्रगति की समीक्षा की गई।

(ग) : सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में कुल 15,17,922 घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें गढ़चिरौली जिले के 37,949 घर शामिल हैं। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.03.2022 तक, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृत घरों सहित कुल 7,92,368 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। ओडिशा के कंधमाल जिले में, सौभाग्य पोर्टल के अनुसार कुल 52,043 घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित, घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र.सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त मंजूरी की अनुमति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक)(ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छत्तीसगढ	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुद्दुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		**26,284,350**	**1,885,374**	**28,169,724**	**1,183,870**	**443,700**	**28,613,424**

*सौभाग्य से पहले विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं किया गया

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1203

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

विद्युत (उपभोक्ता अधिभार) नियम, 2020 में संशोधन

1203. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें व्यस्ततम घंटों अर्थात् सुबह 6 बजे से 10 बजे और सायं 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए 10 से 20 प्रतिशत अधिक प्रशुल्क दर वाली दिन के समय की प्रणाली (टीओडी) आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्यमियों द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता पर ध्यान दिया है कि टीओडी से उनके उद्यम प्रभावित होंगे और उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या विद्युत मंत्रालय को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की ओर से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अनुरोध प्रापत हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2023 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जारी किए हैं जिनमें टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ के लिए नियम भी निर्दिष्ट किए गए हैं। इस नियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है किः

i. 10 किलोवाट से अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को अथवा उससे पहले की तिथि से प्रभावी किया जाएगा और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए, टीओडी टैरिफ दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को अथवा उससे पहले की तिथि से प्रभावी किया जाएगा।
ii. वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, टीओडी टैरिफ दिन की व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान सामान्य टैरिफ के 1.20 गुणे से कम नहीं होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए यह सामान्य टैरिफ के 1.10 गुणे से कम नहीं होगा।
iii. राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले, दिन की सौर अवधि के लिए टैरिफ, उस श्रेणी के उपभोक्ता के लिए सामान्य टैरिफ से कम से कम बीस प्रतिशत (20%) कम होगा।

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय को एमएसएमई उद्यमों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, टीओडी टैरिफ में व्यस्ततमकालीन अवधि, सौर अवधि तथा सामान्य अवधि के लिए अलग-अलग टैरिफ को शामिल करते हुए, उपभोक्ताओं को मूल्य का संकेत प्राप्त होता है ताकि वे टैरिफ के अनुरूप अपने भार का प्रबंधन कर सकें। चूंकि, सौर अवधि के दौरान टैरिफ सामान्य टैरिफ से कम से कम 20% कम होगा, अतः एमएसएमईज़ सहित उपभोक्ता सौर अवधि के दौरान विद्युत की लागत कम होने पर अपनी खपत को शिफ्ट कर सकते हैं और लाभांवित हो सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध नहीं किया है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1237
जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

बिजली की मांग और आपूर्ति

1237. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य 1750 बिलियन यूनिट (बीयू) निर्धारित किया है, जिसमें 56 प्रतिशत के औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के साथ 75 प्रतिशत बिजली ताप विद्युत संयंत्र के माध्यम से उत्पादित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के पास देश में विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2023-2024 के लिए विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को 1750 बीयू पर निर्धारित किया गया है। ताप विद्युत संयंत्र से 66.90 प्रतिशत के औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) के साथ 75.66 प्रतिशत विद्युत उत्पन्न होगा।

(ग) : देश में वर्ष 2023-24 में 56,796 एमयू (3.6%) के अनुमानित ऊर्जा अधिशेष और 1,717 मेगावाट (0.7%) के व्यस्ततम अधिशेष के साथ विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा उपलब्धता, व्यस्ततम मांग और व्यस्ततम आपूर्ति का ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, 25440 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 18 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं, 370 मेगावाट क्षमता वाली एक (1) गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना, और 18033.5 मेगावाट (दिनांक 30 जून, 2023 तक की स्थिति के अनुसार) की कुल क्षमता वाली 42 जलविद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से ऊपर) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 8000 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

इसके साथ-साथ, देश में व्यस्ततम मौसम के दौरान विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) उत्पादन क्षमता की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। उत्पादक उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों के अनुरक्षण कार्य को पूरा करेंगे।

(ii) कोयले के उत्पादन और प्रेषण को यथासंभव बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर कोयला और रेल मंत्रालय के साथ निगरानी और समन्वय।

(iii) सभी उत्पादकों से घरेलू कोयले की कमी की स्थिति में सम्मिश्रण प्रयोजनों के लिए कोयले का आयात सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि कोयले की कमी न हो।

(iv) सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को घरेलू कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयला आपूर्ति की पूर्ति के लिए अधिकतम कोयला उत्पादन करने के लिए कहा गया है।

(v) उच्च विद्युत मांग वाले महीनों के दौरान, गैस आधारित स्टेशनों को चलाने के लिए गेल की ओर से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।

(vi) विद्युत संशोधन नियम, 2022 को दिनांक 29 दिसंबर 2022 को अधिसूचित किए गए हैं, जो उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्तता योजना की तैयारी को अनिवार्य बनाते हैं।

(vii) आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को विद्युत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कोयले के भण्डारण और उच्च मांग अवधि के दौरान उत्पादित विद्युत के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए गए हैं।

(viii) जल के बेहतर उपयोग के लिए जल विद्युत स्टेशनों के जलाशय स्तर की निगरानी की जा रही है। अगले महीने में बेहतर उपलब्धता के लिए वर्तमान महीने में जल का बेहतर उपयोग करने के लिए सभी जलविद्युत संयंत्रों को आरएलडीसी/एसएलडीसी के परामर्श से काम करने का निर्देश दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1237 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा उपलब्धता, व्यस्ततम मांग और व्यस्ततम पूर्ति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

ऊर्जा				व्यस्ततम			
आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष(+)/कमी(-)		मांग	उपलब्धता	अधिशेष(+)/कमी(-)	
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
15,89,873	16,46,670	56,796	3.6	2,29,018	2,30,734	1,717	0.7

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1245

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

जल विद्युत परियोजनाएं

1245. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर प्रतिबंध से जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित नहीं होती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जल संवाहक प्रणालियों और पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) के प्रारंभिक चरणों में संबद्ध खनन और उत्खनन के लिए छूट प्रदान करने का है ताकि जल संवाहक प्रणालियों और भूमिगत विद्युत गृहों के निर्माण को सक्षम बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार अधिसूचना में एक नया खंड शामिल करने का है जिसके अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं और पीएसपी से संबद्ध पारेषण लाइनों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीज़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनों के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) दिए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू करती है। ईआईए अध्ययनों के दौरान, आस-पास की सीमांकित/नामित खदानों की उपलब्धता सहित सभी पारिस्थितिक पहलुओं की ठीक से जांच की जाती है। सीमांकित/नामित खदानों के साथ अनुमोदित एचईपीयों का निर्माण कार्य तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक इन खदानों पर आगामी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, जिससे परियोजना में विलंब हो सकता है और इसकी व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।

(ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) : पारेषण लाइन को बिछाने पर ईआईए अधिसूचना, 2006, संशोधित किए गए अनुसार, के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए जल-विद्युत परियोजना (एचईपी)/पम्पड स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) की पारेषण लाइन बिछाने के लिए किसी पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन मंजूरी (एफसी) की आवश्यकता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1248

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

टीपीपी में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की संस्थापना

1248. श्री जगन्नाथ सरकार:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री गौरव गोगोई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में वर्तमान समय-सीमा के भीतर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) संस्थापित करने के लिए अनुपालन अपेक्षाओं को परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा टीपीपी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि कितने ताप विद्युत संयंत्रों ने अपनी सुविधाओं में एफजीडी संस्थापित और प्रचालित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास लक्षित विद्युत संयंत्रों में एफजीडी प्रणालियों की संस्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहन देने का प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सभी ताप विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानकों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। ताप विद्युत संयंत्र, सल्फर डॉईऑक्साईड (SO_2) उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण लगा रहे हैं।

एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 05.09.2022 की अधिसूचना द्वारा नॉन-रिटायरिंग ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु SO_2 अनुपालना संबंधी निम्नलिखित समय-सीमाएं निर्धारित की हैं:

क्र.सं.	**श्रेणी**	**स्थान/क्षेत्र**	**अनुपालना हेतु समय-सीमा**
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा 10 लाख से अधिक जनसंख्या (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार) वाले शहरों से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर	31 दिसम्बर, 2024 तक
2	श्रेणी ख	अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों अथवा नॉन-अटेनमेंट शहरों (सीपीसीबी द्वारा यथा परिभाषित) से 10 किमी की परिधि के भीतर	31 दिसम्बर, 2025 तक
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में सम्मिलित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्र	31 दिसम्बर, 2026 तक

निर्दिष्ट समय-सीमाओं से परे गैर-अनुपालन के लिए, एमओईएफएंडसीसी ने नॉन-रिटायरिंग ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी क्षतिपूर्ति निर्धारित की हैः

समय-सीमा से परे गैर-अनुपालन प्रचालन	**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपया प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)**
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे परे	0.40

(ग) और (घ) : वर्तमान में, कुल 9280 मेगावाट क्षमता की 22 यूनिटों ने अपनी सुविधा पर एफजीडीज को संस्थापित एवं प्रचालनीकृत किया है। राज्य-वार सूची संलग्न है।

(ङ) और (च) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी की संस्थापना के कारण अतिरिक्त लागत प्रभाव पर उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ में पास-थ्रू हेतु विचार किया जाना है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

संस्थापित एफजीडी यूनिटें

क्र.सं	राज्य	क्षेत्र	संगठन	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	हरियाणा	निजी	झज्जर पावर	महात्मा गांधी टी.पी.एस	1	660.00
2	हरियाणा	निजी	झज्जर पावर	महात्मा गांधी टी.पी.एस	2	660.00
3	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	1	210.00
4	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	2	210.00
5	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	3	210.00
6	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	4	210.00
7	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	5	490.00
8	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	ऊंचाहार टीपीएस	6	500.00
9	तमिलनाडु	निजी	आईटीपीसीएल	आईटीपीसीएल टीपीपी	1	600.00
10	तमिलनाडु	निजी	आईटीपीसीएल	आईटीपीसीएल टीपीपी	2	600.00
11	गुजरात	निजी	एपीएल	मुंद्रा टीपीएस	7	660.00
12	गुजरात	निजी	एपीएल	मुंद्रा टीपीएस	8	660.00
13	गुजरात	निजी	एपीएल	मुंद्रा टीपीएस	9	660.00
14	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	विंध्याचल एसटीपीएस	13	500.00
15	महाराष्ट्र	निजी	जेएसडब्ल्यू	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1	300.00
16	महाराष्ट्र	निजी	जेएसडब्ल्यू	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	2	300.00
17	महाराष्ट्र	निजी	जेएसडब्ल्यू	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	3	300.00
18	महाराष्ट्र	निजी	जेएसडब्ल्यू	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	4	300.00
19	महाराष्ट्र	निजी	एपीएल	दहानू टीपीएस	1	250.00
20	महाराष्ट्र	निजी	एपीएल	दहानू टीपीएस	2	250.00
21	महाराष्ट्र	निजी	टाटा पीसीएल	ट्रॉम्बे टीपीएस	5	500.00
22	महाराष्ट्र	निजी	टाटा पीसीएल	ट्रॉम्बे टीपीएस	8	250.00
				कुल	**22**	**9280.00**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1261
जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

विद्युत की खपत

1261. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संपूर्ण देश में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत का उत्पादन इसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने देश में नई विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और

(छ) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विद्युत की खपत बढ़ी है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2023 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं। देश की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता पर्याप्त है।

(ङ) से (छ) : विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, दिनांक 30 जून, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 25,440 मेगावाट क्षमता की 18 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं, 370 मेगावाट क्षमता की एक (01) गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना तथा कुल 18,033.5 मेगावाट क्षमता की 42 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 8,000 मेगावाट की न्युक्लियर क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है। साथ ही, वर्ष 2030 तक 22,840 मेगावाट की

अतिरिक्त कोयला आधारित ताप क्षमता की योजना बनाई जा चुकी है, जिसमें से 15,300 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन और 7,540 मेगावाट राज्य क्षेत्र के अधीन होगी। इसके ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक अनुज्ञप्ति-रहित गतिविधि है और ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करने वाली कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है। केवल जल विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना के मामले में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति आवश्यक है।

झारखंड राज्य में 3720 मेगावाट क्षमता (उत्तर करनपुरा टीपीएस में प्रत्येक 660 मेगावाट की दो यूनिटें तथा पतरातु टीपीएस में प्रत्येक 800 मेगावाट की तीन यूनिटें) की केन्द्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी) में दो (02) कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, डीवीसी द्वारा झारखंड राज्य में 1600 मेगावाट क्षमता की कोडरमा ताप विद्युत परियोजना की योजना बनाई गई है।

****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1261 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन और वर्तमान वर्ष 2023-24 (जून, 2023 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे:

वित्तीय वर्ष	**ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)**	**आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)**	**ऊर्जा आवश्यकता वृद्धि %**	**आपूर्ति की गई ऊर्जा वृद्धि %**	**आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा %**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2020-21	1275534	1270663	-	-	0.4
2021-22	1379812	1374024	8.2	8.1	0.4
2022-23	1511847	1504264	9.6	9.5	0.5
2023-24 (जून, 2023 तक)*	408621	407762	1.0	1.8	0.2

*****अनंतिम*

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1261 के भाग (ङ) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

I. निर्माणाधीन कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं

यूटिलिटी का नाम	परियोजना का नाम	निर्माणाधीन क्षमता
I. केन्द्रीय क्षेत्र (12580-मेगावाट)		
एनटीपीसी/पीवीयूएनएल	बाढ़ एसटीपीपी, स्टे-I (3x660 मेगावाट)	1320
	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे-I (2x800 मेगावाट)	1600
	नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी (3x660 मेगावाट)	1320
	पतरातु एसटीपीपी (3x800 मेगावाट)	2400
	तलचेर टीपीपी, स्टे-III (2x660 मेगावाट)	1320
एसजेवीएन	बक्सर टीपीपी (2x660 मेगावाट)	1320
एनयूपीपीएल	घटमपुर टीपीपी (3x660मेगावाट)	1980
टीएचडीसी	खुर्जा एससीटीपीपी (2x660 मेगावाट)	1320
II. राज्य क्षेत्र (12860 मेगावाट)		
टेनजेडको	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे-III (1x800 मेगावाट)	800
	एन्नोर एसईजेड एसटीपीपी (2x660 मेगावाट)	1320
	उडनगुडी एसटीपीपी, स्टे-I (2x660 मेगावाट)	1320
यूपीआरवीयूएनएल	जवाहरपुर एसटीपीपी (2x660 मेगावाट)	1320
	ओबरा-सी एसटीपीपी (2x660 मेगावाट)	1320
	पंकी टीपीएस एक्स (1x660 मेगावाट)	660
एपीजेनको/एपीपीडीसीएल	डीआर. एनटी टीपीएस, स्टे-V (1x800 मेगावाट)	800
टीएसजेनको	यदाद्री टीपीएस (1x800 मेगावाट)	4000
महाजेनको	भुसावल टीपीएस (1x660 मेगावाट)	660
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	सागरदिघी टीपीपी, स्टे-III (1x660 मेगावाट)	660
कुल	**25440 मेगावाट**	

II. निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

क्र. सं.	स्कीम का नाम (निष्पादक एजेंसी)	क्षेत्र	जिला	संस्थापित क्षमता (संख्याxमेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	नदी/घाटी
	आंध्र प्रदेश					
1	पोलावरम (एपीजेनको /सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	राज्य	पूर्व एवं पश्चिमी गोदावरी	12x80	960.00	गोदावरी/ईएफआर
2	लोअर सिलेरु एक्सटेंशन (एपीजेनको)	राज्य	अल्लुरी सितारामराजु	2x115	230.00	सिलेरु/गोदावरी
3	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	निजी	कुरनूल	4x240 + 2x120	1200.00	पेन्नार घाटी/ईएफआर
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश				**2390.00**	
	अरुणाचल प्रदेश					
4	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	लोअर सुबनसिरी	8x250	2000.00	सुबनसिरी/ब्रह्मपुत्र

5	दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजना (एनएचपीसी)	केंद्रीय	लोअर दिबांग वैली	12x240	2880.00	दिबांग/ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				**4880.00**	
	असम					
6	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	राज्य	दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग	2x55+2x2.5+1x5	120.00	कोपीली/ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: असम				**120.00**	
	हिमाचल प्रदेश					
7	पार्वती चरण-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	कुल्लू	4x200	800.00	पार्वती/ब्यास/सिंधु
8	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केंद्रीय	कुल्लू/शिमला	2x80+2x25	210.00	सतलुज/सिंधु
9	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केंद्रीय	हमीरपुर/ कांगड़ा	2x33	66.00	ब्यास/सिंध
10	सुन्नी डैम (एसजेवीएन)	केंद्रीय	शिमला/मंडी	4x73+1x73+1x17	382.00	सतलुज
11	उहल- III (बीवीपीसीएल)	राज्य	मंडी	3x33.33	100.00	उहल/ब्यास/सिंध
12	शोंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	3x150	450.00	सतलुज/सिंधु
13	चंजु-III (एचपीपीसीएल)	राज्य	चंबा	3x16	48.00	चंजु नल्लाह
14	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	3x50	150.00	टिडोंग/सतलुज/ सिंधु
15	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	चंबा	3x80	240.00	रावी/सिंधु
16	टंगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	शिमला	2x22	44.00	पब्बर/टोन्स/यमुना/गंगा
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				**2490.00**	
	जम्मू व कश्मीर					
17	पाकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x250	1000.00	मरूसादर/चिनाब/सिंधु
18	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x156	624.00	चिनाब/सिंधु
19	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x205 + 1x30	850.00	चिनाब/सिंधु
20	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x135	540	चिनाब/सिंधु
21	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पूंछ	3x12.5	37.50	झेलम/सिंधु
22	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	किश्तवाड़	2x24	48.00	चिनाब/सिंधु
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर				**3099.50**	
	केरल					
23	पल्लीवासल (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	2x30	60.00	मुदिरापुझा/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर
24	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	1x30+1x10	40.00	थोट्टियार/पेरियार/ बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर
25	मांकुलम (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	2x20	40.00	मेलाचेरी
	उप-जोड़: केरल				**140.00**	
	मध्य प्रदेश					
26	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	खरगोन और खंडवा	10x40	400.00	नर्मदा/सीआईआरएस
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश				**400.00**	
	महाराष्ट्र					
27	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	सतारा	2x40	80.00	कोयना/कृष्णा/ईएफआर
	उप-जोड़: महाराष्ट्र				**80.00**	

	पंजाब					
28	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/ सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	गुरदासपुर	3x33+3x33+1x8	206.00	रावी/सिंधु
	उप-जोड़: पंजाब				**206.00**	
	सिक्किम					
29	तीस्ता चरण-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	दक्षिण सिक्किम	4x125	500.00	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
30	रंगित- IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	पश्चिम सिक्किम	3x40	120.00	रंगित/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र
31	भस्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	पूर्वी सिक्किम	2x25.5	51.00	रंगपो/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र
32	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	पश्चिम सिक्किम	2x33	66.00	ग्रेटर रंगित/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र
33	पनन (हिमागिरी)	निजी	उत्तरी सिक्किम	4x75	300.00	रंगयोंगचू/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: सिक्किम				**1037.00**	
	तमिलनाडु					
34	कुंडाह पंप स्टोरेज फेज- I, II और III)	राज्य	नीलगिरी	4x125	500.00	कुंडह/भवानी/कावेरी/ ईएफआर
	उप-जोड़: तमिलनाडु				**500.00**	
	उत्तराखंड					
35	विष्णुगाड़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x111	444.00	अलकनंदा/गंगा
36	नैतवार मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	उत्तरकाशी	2x30	60.00	टोन्स/यमुना/ गंगा
37	तपोवन विष्णुगाड़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x130	520.00	धौलीगंगा/अलकनंदा और/गंगा
38	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	टिहरी गढ़वाल	4x250	1000.00	भीलंगनना/भागीरथी/गंगा
39	लखवर बहु-उद्देश्यीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	राज्य	देहरादून और टिहरी गढ़वाल	3x100	300.00	यमुना
40	लता तपोवन (एनटीटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	3x57	171.00	धौलीगंगा/अलकनंदा और गंगा
41	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	रुद्रप्रयाग	2x38	76.00	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा
	उप-जोड़: उत्तराखंड				**2571.00**	
	पश्चिम बंगाल					
42	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	दार्जिलिंग	3x40	120.00	रम्मम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल				**120.00**	
				कुल:	**17803.50**	

III. निर्माणाधीन गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षेत्र	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	येलाहांका सीसीपीपी (केपीसीएल)	कर्नाटक	राज्य	जीटी+एसटी	370

IV. निर्माणाधीन न्युक्लियर क्षमता

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
निर्माणाधीन परियोजनाएं			
गुजरात	काकरापर	केएपीपी-4	1x700

राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-7&8	2x700
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3&4	2x1000
		केकेएनपीपी-5&6	2x1000
	कलपक्कम	पीएफबीआर (भाविनी द्वारा कार्यान्वित किया गया)	500
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1&2	2x700
कुल			**8000**

V. वर्ष 2030 तक केंद्रीय क्षेत्र की अतिरिक्त नियोजित ताप विद्युत क्षमता

राज्य	**यूटिलिटी का नाम**	**परियोजना का नाम**	**नियोजित क्षमता (मेगावाट)**
बिहार	एसजेवीएन	बक्सर (1x660)	660
छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	लारा एसटीपीपी-II (2x800)	1600
	एनटीपीसी	सीपत-III (1x800)	800
झारखंड	डीवीसी	कोडरमा (2x800)	1600
ओडिशा	एनटीपीसी	दार्लीपाली-II (1x800)	800
	एनएलसी	तालाबीरा एसटीपीएस (3x800)	2400
तमिनाडु	एनएलसी	नेवेली टीपीएस-II द्वितीय विस्तार (2x660)	1320
उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी	सिंगरोली-III (2x800)	1600
	एनटीपीसी	मेजा-II (2x800)	2400
पश्चिम बंगाल	डीवीसी	रघुनाथपुर (2x660)	1320
	डीवीसी	दुर्गापुर (1x800)	800
कुल			**15300 मेगावाट**

VI. वर्ष 2030 तक राज्य क्षेत्र की अतिरिक्त नियोजित ताप विद्युत क्षमता

यूटिलिटी का नाम	**परियोजना का नाम**	**नियोजित क्षमता**
छत्तीसगढ़	कोरबा पश्चिम, कोरबा पर सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र (2x660)	1320
एमएसपीजीसीएल, महाराष्ट्र	चन्द्रपुर एसटीपीपी (1x660)	660
एमपीपीसीएल, मध्य प्रदेश	अमरकंटक टीपीएस (1x660)	660
	सतपुणा टीपी यू-12, फेज-V (1x660)	660
ओडिशा	ओपीजीसी विस्तार परियोजना चरण III Iबी टीपीपी (2x660)	1320
राजस्थान(आरआरवीयूएनएल)	कालीसिंध टीपीएस (1x800)	800
तेलंगाना	सिंगरेनी टीपीएस (चरण-II) (1x800)	800
एमएसपीजीसीएल, महाराष्ट्र	कोराडी (2x660)	1320
	कुल	**7540 मेगावाट**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1270

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

टीपीपी में सह-दहन हेतु बायोमास छर्रों का प्रापण

1270. श्री रितेश पाण्डेय:
श्री हसनैन मसूदी:
सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास संशोधित बायोमास नीति के अनुसार कोयले के साथ सह-दहन में पांच प्रतिशत बायोमास पेलेट्स का उपयोग करने के अधिदेश को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले बिजली संयंत्रों की संख्या संबंधी डेटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में सह-दहन हेतु बायोमास पेलेट्स की उपलब्धता और प्रापण सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो मीट्रिक टन में इस कृषि अवशेष-आधारित बायोमास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा क्या है जिसे मई 2023 तक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में सह-दहित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : 47 तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ कृषि अवशिष्ट आधारित बायोमास पैलेट्स का को-फायरिंग किया गया है। हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.10.2021 की बायोमास नीति को संशोधित करने के लिए दिनांक 16.06.2023 को आशोधन जारी किया है और अब वर्ष 2024-25 से ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) में 5% बायोमास को-फायरिंग अनिवार्य करता है। यह दायित्व वर्ष 2025-26 से 7% तक बढ़ जाएगा।

(ग) : सरकार ने टीपीपी में को-फायरिंग के लिए बायोमास पैलेट्स की उपलब्धता और खरीद सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं जैसे, एमएनआरई द्वारा वित्त सहायता स्कीमें तथा बायोमास पैलेट्स विनिर्माण के लिए सीपीसीबी जारी की गई, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत पात्र गतिविधि के रूप में 'बायोमास पैलेट्स विनिर्माण' को मंजूरी दी गई, जीईएम पोर्टल पर बायोमास श्रेणी का खरीद संबंधी प्रावधान किया गया, विद्युत मंत्रालय द्वारा बायोमास आपूर्ति के लिए संशोधित मॉडल दीर्घकालिक संविदा जारी की गई है, वेंडर डेटाबेस को अंतिम रूप दिया गया तथा समर्थ वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया, जागरूकता कार्यक्रम एवं विज्ञापन अभियान, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली पर उद्यम आधार का प्रावधान, बायोमास पेलेट संयंत्रों के लिए बैंकेबल मॉडल परियोजना रिपोर्ट आदि।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03-05-2023 के नीतिगत परिशिष्ट के माध्यम से पराली/पुआल/डंठल/भूसी जैसे विभिन्न प्रकार के कृषि अवशेषों की विभिन्न किस्में इंगित की हैं, जो अधिशेष हैं और जिनका उपयोग बायोमास पैलेट्स बनाने हेतु पशु चारे के रूप में नहीं किया जा रहा है। इसमें धान, सोया, अरहर, ग्वार, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, सीसेम, तिल, मक्का, सूरजमुखी, जूट, काफी आदि फसलों के साथ-साथ मूंगफली के छिलके, नारियल के खोल, अरंडी के बीज के खोल आदि से प्राप्त कृषि-अवशेष शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, निम्नलिखित कृषि उत्पाद/फसल/अपशिष्ट से बने पैलेटों का उपयोग टीपीपीज़ जैसे बांस और इसके सह-उत्पादों, पेड़ों और पौधो के रखरखाव एवं छंटनी से प्राप्त सूखे पत्तों एवं कटाई छंटाई जैसे बागवानी संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य बायोमास जैसे चीड़ के फल/कांटे, हाथी घास, सरकंडा आदि में को-फायरिंग करने के लिए भी किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) : मई, 2023 तक 47 कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में लगभग 1,64,976 मीट्रिक टन कृषि अवशिष्ट-आधारित बायोमास का को-फायरिंग किया गया है। उक्त बायोमास पैलेटों की को-फायरिंग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

को-फायरिंग के लिए विभिन्नव विद्युत संयंत्रों की बायोमास उपयोग की स्थिति (दिनांक31.05.2023 तक)

क्रम संख्या	संगठन/विद्युत यूटिलिटि	संयत्र का नाम	राज्य	संचयी बायोमास उपयोग (एमटी)
1	एनटीपीसी	सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विशाखापत्तनम,	आंध्र प्रदेश	4551
2	एनटीपीसी	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, भागलपुर,	बिहार	10
3	जिंदल पावर	जिंदल सुपर थर्मल पावर प्लांट तमनार	छतीसगढ	24
4	अदानी पावर	रायपुर एनर्जेन लिमिटेड	छतीसगढ	77
5	डीबी पावर लिमिटेड	बड़ादरहा टीपीपी	छतीसगढ	25
6	अदानी पावर	रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड	छतीसगढ	25
7	वेदांता लिमिटेड	भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	छतीसगढ	6942
8	एनटीपीसी	लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रायगढ़,	छतीसगढ	489
9	एनटीपीसी	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बिलासपुर,	छतीसगढ	3882
10	एचपीजीसीएल	राजीव गांधी टीपीएस, हिसार	हरियाणा	95
11	एचपीजीसीएल	यमुनानगर टी.पी.एस	हरियाणा	455
12	सीएलपी/अप्रावा एनर्जी	महात्मा गांधी टीपीएस, झज्जर	हरियाणा	4410
13	एनटीपीसी जेवी	आईजीएसटीपीपी, झज्जर	हरियाणा	16009
14	टाटा पावर	जोजोबेरा पावर प्लांट	झारखंड	23
15	एनटीपीसी	कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बीजापुर,	कर्नाटक	1912
16	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	जेएसडब्ल्यू एनर्जी - टीपीपी तोरानागल्लू	कर्नाटक	336
17	एनटीपीसी	गाडरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, नरसिंहपुर,	मध्य प्रदेश	3140
18	एनटीपीसी	खरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन, खरगोन,	मध्य प्रदेश	13417
19	जय प्रकाश पावर वेंचर्स	जेपीनिग्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, सीधी	मध्य प्रदेश	577
20	जय प्रकाश पावर वेंचर्स	जेपी बीना टीपीएस मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	425
21	रिलायंस पावर	सासन पावर लिमिटेड, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	44
22	एनटीपीसी	मौडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, नागपुर,	महाराष्ट्र	24167
23	एनटीपीसी	सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सोलापुर,	महाराष्ट्र	3060
24	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,	धारीवाल थर्मल पावर प्लांट चंद्रपुर	महाराष्ट्र	87
25	जीएमआर ग्रुप	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र	20
26	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	जेएसडब्ल्यू एनर्जी - रत्नागिरीमहाराष्ट्र	महाराष्ट्र	5
27	साई वर्धा	साई वर्धा पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, वरोरा,	महाराष्ट्र	10
28	वेदान्त	झारसुगुड़ा कैप्टिव पावर	ओडिशा	44
29	जीएमआर एनर्जी	जीएमआर कमलगनागा उड़ीसा	ओडिशा	20
30	वेदांता	टीएसपीएल, मनसा,	पंजाब	50
31	एल एंड टी	एनपीएल, राजपुरा,	पंजाब	30
32	पीएसपीसीएल	जीजीएसएसटीपी, रोपड़	पंजाब	61
33	पीएसपीसीएल	जीएचटीपी, लहरामोहब्बत	पंजाब	39
34	अदानी पावर	अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड	राजस्थान	111
35	श्री ग्रुप	श्री मेगा पावर-1 एवं 2	राजस्थान	7816
36	ओपीजी पावर	ओपीजी पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु	तमिलनाडु	715
37	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस	उत्तर प्रदेश	7392
38	एनटीपीसी	राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन, दादरी,	उत्तर प्रदेश	20617
39	एनटीपीसी	टांडा थर्मल पावर स्टेशन, अम्बेडकर नगर,	उत्तर प्रदेश	3806
40	एनटीपीसी	फ़िरोज़ गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन, रायबरेली,	उत्तर प्रदेश	9486
41	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महन अल. यूनिट- सीपीपी	उत्तर प्रदेश	29676
42	एनटीपीसी	फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट, मुर्शिदाबाद,	पश्चिम बंगाल	77
43	सीईएससी लिमिटेड	बज बज थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	181
44	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड	हल्दिया थर्मल पावर प्लांट	पश्चिम बंगाल	90
45	डीवीसी	दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन (डीएसटीपीएस)	पश्चिम बंगाल	501
46	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल	22
47	डब्ल्यूपीबीडीसीएल	सागरदिघी टीपीएस	पश्चिम बंगाल	25
	कुल			**164976**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1272

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

विद्युतीकरण की योजनाएं

1272. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री नायब सिंह सैनी:
श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विशेष रूप से झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा के कुरूक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के खंडवा-बुरहानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आज की तारीख तक कार्यान्वयन की ब्लॉक-वार अद्यतन स्थिति सहित तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के प्रारंभ से लेकर आज की तिथि तक इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित/उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीनदयाल उपाध्यय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्य वर्ष 2014-15 में शुरू किए गए थे और इन स्कीमों से संबंधित कार्य झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा के कुरूक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के खंडवा-बुरहानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूरे किए गए हैं। ये स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई हैं।

(ख) : झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा के कुरूक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के खंडवा-बुरहानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति की अनुशंसाओं के साथ यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर के आधार पर निगरानी समिति द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्यों को सर्किल-वार संस्वीकृत किया गया था। गिरिडीह, कुरूक्षेत्र और खंडवा-बुरहानपुर निर्वाचन क्षेत्र में आईपीडीएस स्कीम के कार्यान्वयन की सर्कल-वार स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) : आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया था। पिछली किस्तों में जारी की गई निधियों के सूचित किए गए उपयोग तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां किस्तों में जारी की गई थीं। आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्ष वार संवितरित निधियों के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	जिलों को कवर करने वाला निर्वाचन क्षेत्र	वास्तविक अवसंरचना के ब्यौरे								
			सब-स्टेशन		डीटीआर	लाइनें (सीकेएम)			फीडर	मीटरिंग (सं.)	
			नए (सं.)	सवंर्धन (सं.)	डीटीआर (सं.)	एलटी	11 केवी	33/66	सीकेएम	उपभोक्ता	फीडर
हरियाणा	कुरूक्षेत्र	कैथल	0	0	430	123.95	163.43	0	0	0	0
		कुरूक्षेत्र	0	0	309	57.53	49.14	0	0	2391	0
झारखंड*	गिरिडीह	बोकारो	1	6	2854	1386.97	621.76	6.28	549.42	25800	36
		धनबाद	4	4	2038	1217.79	256.15	42.29	132.46	19999	15
		गिरिडीह	5	8	4443	4025.28	1204.99	96.1	111.01	37491	114
मध्य प्रदेश	खंडवा-बुरहानपुर	बुरहानपुर	2	2	120	255.78	200.65	13	0	0	0
		देवास	7	21	519	1025.28	256.94	22.8	50.06	15631	94
		खंडवा	7	2	465	591.82	284	8	51.28	4718	0
		खरगोन	5	12	1309	1558.16	717.39	19	87	296	0

* वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गई आरई परियोजनाओं सहित

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में आईपीडीएस का कार्यान्वयन

चास एवं गिरिडीह सर्कल के शहरी क्षेत्र सहित गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत कार्य। यूटिलिटी द्वारा कार्य को पूर्ण एवं बंद घोषित कर दिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	**सर्कल का नाम**	**डिस्कॉम द्वारा वास्तविक पूर्णता की तिथि**
गिरिडीह	चास	28.02.2019
	गिरिडीह	31.07.2019

गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सृजित प्रमुख अवसंरचना कार्य निम्न प्रकार हैं:-

निर्वाचन क्षेत्र	**सर्कल**	**विवरण**	**यूनिट**	**शुरू की गई मात्रा**
गिरिडीह	चास	33/11 केवी अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर	संख्या	2
		नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	103
		वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	66
		एचटी लाइन (नई एवं पुन: संचालन)	सीकेएम	46
		एरियल बंच्ड केबल	सीकेएम	76
		भूमिगत केबल	सीकेएम	1
		सौर पैनल	केडब्ल्यूपी	5
	गिरिडीह	**विवरण**	**यूनिट**	**शुरू की गई मात्रा**
		नए सब-स्टेशन	संख्या	2
		33/11 केवी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	संख्या	1
		नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	86
		वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	22
		नई एचटी लाइन (नई/पुन: संचालन)	सीकेएम	31
		एरियल बंच्ड केबल	सीकेएम	80
		भूमिगत केबल	सीकेएम	14
		सौर पैनल	केडब्ल्यूपी	17

संसदीय क्षेत्र कुरूक्षेत्र में आईपीडीएस का कार्यान्वयन

कैथल एवं कुरूक्षेत्र सर्कल के शहरी क्षेत्रों सहित कुरूक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में संस्वीकृत कार्य। यूटिलिटी द्वारा कार्य को पूर्ण एवं बंद घोषित कर दिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	**सर्कल का नाम**	**डिस्कॉम द्वारा वास्तविक पूर्णता की तिथि**
कुरूक्षेत्र	कैथल	25.02.2019
	कुरूक्षेत्र	01.03.2019

कुरूक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सृजित प्रमुख अवसंरचना कार्य निम्न प्रकार हैं:-

निर्वाचन क्षेत्र	**सर्कल**	**विवरण**	**यूनिट**	**पूर्णता मात्रा**
कुरूक्षेत्र	कैथल	नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	44
		वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	59
		एचटी लाइन (नई एवं पुन: संचालन)	सीकेएम	28
		एरियल बंच्ड केबल	सीकेएम	21
		सौर पैनल	केडब्ल्यूपी	55
	कुरूक्षेत्र	**विवरण**	**यूनिट**	**पूर्णता मात्रा**
		नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	22
		वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	18
		एचटी लाइन (नई एवं पुन: संचालन)	सीकेएम	20
		एरियल बंच्ड केबल	सीकेएम	39
		भूमिगत केबल	सीकेएम	11

संसदीय क्षेत्र खंडवा-बुरहानपुर में आईपीडीएस का कार्यान्वयन

खंडावा एवं बुरहानपुर सर्कल के शहरी क्षेत्रों सहित खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र में संस्वीकृत कार्य। यूटिलिटी द्वारा कार्य को पूर्ण एवं बंद घोषित कर दिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	**सर्कल का नाम**	**डिस्कॉम द्वारा वास्तविक पूर्णता की तिथि**
खंडवा-बुरहानपुर	बुरहानपुर	29.03.2019
	खंडव	28.01.2019

खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सृजित प्रमुख अवसंरचना कार्य इस प्रकार हैं:-

निर्वाचन क्षेत्र	**सर्कल**	**विवरण**	**यूनिट**	**शुरू की गई मात्रा**
खंडवा-बुरहानपुर	बुरहानपुर	नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	43
		वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	4
		नई एचटी लाइन	सीकएम	5
		एरियल बंच्ड केबल	सीकएम	17
		नई एलटी लाइन	सीकएम	1
		एलटी लाइन पुन: संचालन	सीकएम	41
	खंडवा	**विवरण**	**यूनिट**	**शुरू की गई मात्रा**
		नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	39
		वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	13
		नई एचटी लाइन	सीकएम	14
		एरियल बंच्ड केबल	सीकएम	28
		एचटी लाइन पुन: संचालन	सीकएम	5
		सौर पैनल	केडब्ल्यूपी	15

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस स्कीम की वर्ष-वार, राज्य-वार संस्वीकृति तथा संवितरण विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित लागत (संचयी)	भारत सरकार के घटक (संचयी)	वितीय वर्ष-वार भारत सरकार का संवितरण									
				वर्ष 2014-2015	वर्ष 2015-2016	वर्ष 2016-2017	वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2020-2021	वर्ष 2021-2022	वर्ष 2022-2023	(कुल) भारत सरकार का संवितरित अनुदान
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18	11	-	-	-	1	-	-	2	7	-	11
2	आंध्र प्रदेश	847	510	3	28	67	232	18	29	101	31	0.38	510
3	अरूणाचल प्रदेश	159	135	-	-	13	-	-	15	56	26	20	130
4	असम	691	587	-	50	-	103	-	273	75	59	20	580
5	बिहार	2,710	1,631	2	13	321	20	18	624	315	311	1	1,624
6	छतीसगढ़	536	323	-	30	-	40	1	23	169	60	-	322
7	दिल्ली	179	108	-	-	-	-	33	-	57	18	-	108
8	गोवा	83	50	-	-	-	2	0	11	13	17	-	44
9	गुजरात	1,066	642	5	24	175	130	120	112	84	-	-	650
10	हरियाणा	326	196	-	-	24	13	30	42	72	18	-	198
11	हिमाचल प्रदेश	178	151	-	-	9	2	21	60	18	39	0.22	149
12	जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख	402	342	-	-	3	35	-	58	228	17	-	341
13	झारखंड	768	462	-	-	44	89	160	-	75	88	-	455
14	कर्नाटक	1,329	800	-	-	69	130	350	49	91	110	0.17	798
15	केरल	654	394	-	-	108	-	0	19	225	45	0.08	397
16	महाराष्ट्र	2,387	1,436	-	-	197	160	81	740	110	116	26	1,431
17	मणिपुर	126	108	-	11	21	-	64	-	-	-	6	101
18	मेघालय	108	92	-	-	5	-	9	1	29	11	-	55
19	मिजोरम	105	89	-	-	12	-	3	5	5	57	-	82
20	मध्य प्रदेश	1,565	942	1	3	101	71	123	364	202	79	1	946
21	नागालैंड	135	115	-	-	4	7	8	74	-	16	-	108
22	ओडिशा	1,056	636	-	-	183	-	247	128	22	60	-	640
23	पुद्दुचेरी	15	9	-	-	-	-	4	-	5	-	-	9
24	पंजाब	409	246	-	-	20	29	20	120	42	22	-	253
25	राजस्थान	1,431	861	-	-	130	99	-	417	96	98	1	841
26	सिक्किम	101	86	-	-	-	1	9	15	-	67	1	94
27	तमिलनाडु	1,745	1,051	-	-	29	250	24	596	27	118	-	1,044
28	तेलंगाना	751	452	-	-	39	70	223	11	56	52	0.02	452
29	त्रिपुरा	192	164	-	6	-	8	6	24	85	10	15	154
30	उत्तर प्रदेश	5,358	3,226	25	62	631	635	1,008	111	303	274	73	3,121
31	उत्तराखंड	612	521	-	-	16	33	87	73	224	75	0.47	508
32	पश्चिम बंगाल	2,839	1,709	14	51	112	319	45	607	422	81	20	1,672
	कुल	**28,880**	**18,084**	**50**	**277**	**2,333**	**2,479**	**2,713**	**4,600**	**3,210**	**1,981**	**186**	**17,828**

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2015 से डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त इंफ्रा एवं अतिरिक्त घरों सहित) के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किए गए अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्यों के नाम	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (15.07.2023 तक)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	30	128	165	177	8	8	85			602
2	अरुणाचल प्रदेश	31	101	81	160	37	32	74	76		592
3	असम	338	598	408	1082	661	416	339	13		3,855
4	बिहार	710	1292	763	2412	682	830	1,236	46		7,970
5	छत्तीसगढ़	279	126	552	79	58	54	153			1,301
6	गुजरात	58	110	143	181	-	13	51			556
7	हरियाणा	-	-	45	22	50	5	54			176
8	हिमाचल प्रदेश	28	-	-	15	40	37	11	11		142
9	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	57	527	65	35	29	136	20	870
10	झारखंड	-	327	862	1362	610	355	281	189		3,985
11	कर्नाटक	44	145	204	451	283	13	109			1,249
12	केरल	-	134	87	57	8	-	54			340
13	लद्दाख	-	-	8	15	24	-	34	8		89
14	मध्य प्रदेश	439	421	598	952	375	278	762	3		3,826
15	महाराष्ट्र	43	257	143	482	225	158	162			1,470
16	मणिपुर	7	36	33	41	46	50	24	89		325
17	मेघालय	-	26	58	155	165	61	15	32		510
18	मिजोरम	19	14	42	35	16	5	24			154
19	नागालैंड	48	21	24	55	24	11	8	43		234
20	ओडिशा	514	1079	366	1369	330	122	395		5	4,181
21	पंजाब	-	-	15	42	115	16	35			223
22	राजस्थान	253	347	782	1246	273	116	408	89		3,514
23	सिक्किम	-	-	18	21	9	28	16			92
24	तमिलनाडु	77	110	2	244	56	-	100			590
25	तेलंगाना	5	27	60	61	74	-	64			292
26	त्रिपुरा	49	78	62	112	47	48	74	35		505
27	उत्तर प्रदेश	1249	2262	3149	3560	946	1,661	1,095	103		14,026
28	उत्तराखंड	71	16	33	270	269	5	3			667
29	पश्चिम बंगाल	305	273	241	1281	261	149	509	50		3,069
30	गोवा	-	-	-	3	7	-	2			12
31	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-	1	-	-	2			3
32	पुदुचेरी	-	1	-	0	5	3	1			11
33	अंडमान एवं निकोबार	-	-	1	-	-	2	3		4	11
	कुल	**4,599**	**7,930**	**9,002**	**16,469**	**5,767**	**4,511**	**6,212**	**921.50**	**29.22**	**55,441**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1273
जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

नेशनल पावर ग्रिड की सुरक्षा

1273. श्री के. षणमुग सुंदरम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल पावर ग्रिड की कार्यात्मक प्रचालन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नेशनल पावर ग्रिड को साइबर हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2014 से नेशनल पावर ग्रिड पर हुए साइबर हमलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पावर ग्रिड पर साइबर हमलों में शामिल ऐसे तत्वों पर अभियोग चलाया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारतीय राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड उत्पादकों, पारेषण, वितरण प्रणालियों तथा विद्युत उपभोक्ता की सहायता करती हैं। भारतीय ग्रिड को पांच समक्रमिक रूप से जुड़ी क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात् उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सीमांकित किया गया है जिसमें संबंधित क्षेत्रों में राज्य की ग्रिडें भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) तथा संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी) एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य के श्रेणीबद्ध स्तर पर उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार विद्युत ग्रिड का पर्यवेक्षण और विभिन्न यूटिलिटियों के साथ समन्वय किया जाता है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की साइबर हमलों से रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अक्तूबर, 2021 में विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिससे साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं की पहचान करने, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001), खुली एवं असुरक्षित सेवाओं तथा बॉटनेट संक्रमणों की निगरानी के लिए भारतीय कम्प्यूटर आकस्मिकता प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन)

के साइबर स्वच्छता केन्द्र की ऑन बोर्डिंग, सीईआरटी-इन पैनलबद्ध लेखा-परीक्षकों के माध्यम से महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) द्वारा संचालित लेवल-1 एवं 2 प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य बल की कौशल वृद्धि जैसे साइबर सुरक्षा उपायों का विकास एवं कार्यान्वयन हुआ है।

- साइबर सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया के समन्वय एवं समर्थन तथा साइबर सुरक्षा घटनाओं से बचाव करने, पहचान करने, निपटने एवं प्रतिक्रिया करने के लिए यूटिलिटियों का साथ देने के लिए, सीईए में सीईआरटी-इन के मार्गदर्शन में विद्युत क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (सीएसआईआरटी-पावर) की स्थापना की गई है। सीएसआईआरटी-पावर महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करने और साइबर संबंधी लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर घटनाओं को कम करने तथा इनसे बचने के लिए विशेषज्ञ दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- ग्रिड प्रचालनों के कम्प्यूटर आकस्मिकता प्रतिक्रिया दल के रूप में, ग्रिड-इंडिया, आरएलडीसी (यों) तथा एनएलडीसी नियंत्रण केन्द्रों की साइबर सुरक्षा का ध्यान रखने के अलावा, एसएलडीसीज के साथ, उनके द्वारा अपने संबंधित नियंत्रण केन्द्र की साइबर सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए, समन्वय भी करता है।
- ग्रिड-इंडिया के अंतर्गत, एनएलडीसी/आरएलडीसीज की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं ओटी (प्रचालन प्रौद्योगिकी), इस बात पर विचार करते हुए डिजाइन की गई है कि साइबर हमलों से बचाव के लिए साइबर खतरों को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण तथा संबद्ध साइबर सुरक्षा उपकरणों को संस्थापित किया जा चुका है।
- ग्रिड-इंडिया द्वारा नियमित आधार पर सांविधिक निकायों के साथ समन्वय और उनके निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
- सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना और साइबर स्वच्छता केन्द्र (सीएसके) के साथ ऑन बोर्डिंगः ग्रिड-इंडिया ने 24x7 सुरक्षा प्रचालन केन्द्र स्थापित किए हैं।
- कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए बारंबार रूप से कर्मचारी जागरूकता सत्र संचालित किए जाते हैं।
- ग्रिड-इंडिया के आईटी/ओटी तथा साइबर सुरक्षा कार्मिकों के लिए एनपीटीआई के माध्यम से अनिवार्य साइबर सुरक्षा प्रमाणन आरंभ किया गया है।

(घ) : पावरग्रिड तथा ग्रिड-इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 से उनकी प्रणालियों पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) : उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1274
जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

जल विद्युत उत्पादन

1274. प्रो. सौगत राय:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत उत्पादन के भविष्य के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ जैसी बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जल विद्युत परियोजनाओं के चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में चिंता का कारण बन रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने, वर्ष 2013 में, देश में जल-विद्युत क्षमता के बेसिन-वार पुनर्मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अंतर्गत एक समिति का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई), राष्ट्रीय दूर-संवेदी एजेंसी (एनआरएसए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के सदस्य शामिल थे। सीईए द्वारा वर्ष 2017-23 की अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अनुसार, प्रमुख/मध्यम स्कीमों (अर्थात् 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली स्कीमों) से मूल्यांकित जल विद्युत क्षमता लगभग 133.4 गीगावॉट है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ग) और (घ) : जल विद्युत परियोजनाएं मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं**,** जहां बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के कारण कभी-कभी अस्थायी संरचनाओं जैसे कॉफ़र बांध, सुरक्षा दीवार आदि को नुकसान होता है और परिणामस्वरूप परियोजना(ओं) में देरी होती है। साथ ही, बाढ़ के कारण, सड़क/पुल क्षतिग्रस्त खराब हो सकते हैं, जिससे परियोजना स्थलों को सामग्री की आपूर्ति में अधिक विलंब होता है और परियोजना चालू होने के कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1274 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बड़ी जल विद्युत की राज्य-वार क्षमता
(संस्थापित क्षमता के संबंध में - 25 मेगावाट से अधिक)

क्षेत्र/राज्य	अभिचिह्नित क्षमता (मेगावाट) (वर्ष 2017-23)
उत्तरी क्षेत्र	
जम्मू एवं कश्मीर	12265
लद्दाख	707
हिमाचल प्रदेश	18305
पंजाब	1301
हरियाणा	0
राजस्थान	411
उत्तराखंड	13481
उत्तर प्रदेश	502
उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	**46971**
पश्चिमी क्षेत्र	
मध्य प्रदेश	2819
छत्तीसगढ़	1311
गुजरात	550
महाराष्ट्र	3144
गोवा	0
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	**7824**
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	2596
तेलंगाना	1302
कर्नाटक	4414
केरल	2473
तमिलनाडु	1785
उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	**12570**
पूर्वी क्षेत्र	
झारखंड	300
बिहार	130
ओडिशा	2825
पश्चिम बंगाल	809
सिक्किम	6051
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	**10115**
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
मेघालय	2026
त्रिपुरा	0
मणिपुर	615
असम	643
नागालैंड	325
अरुणाचल प्रदेश	50394
मिजोरम	1927
उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**55930**
अखिल भारतीय	**133410**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1291
जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

सभी को चौबीसों घंटे बिजली

1291. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में सभी को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ओर अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी को चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रह हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और/अथवा राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज़) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अप्रत्याशित घटनाओं के कारण नियोजित व्यवधानों और हस्तक्षेपों को छोड़कर 24x7 विद्युत आपूर्ति करने का दावा करते हैं। इस संबंध में, भारत सरकार ने दिनांक 31.12.2020 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 भी अधिसूचित किए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा

सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करना अनिवार्य है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार औसत घंटों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए है।

(घ) : शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्यों; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस): और रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटी-डीएएस) के लिए दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय निधि उपलब्ध कराई गई थी। उपर्युक्त कार्यों के साथ-साथ, सरकार द्वारा भूमिगत (यूजी) केबलिंग और एरियल बंच्ड (एबी) केबलों के लिए भी निधि संस्वीकृत की गई थी, जिससे सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने में सहायता मिली। इन सभी वितरण अवसंरचना कार्यों ने सभी को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान की है। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई। आईपीडीएस के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

मार्च, 2023 तक 11 केवी फीडरों में विगत पांच वर्षों के लिए एक दिन (एचएच.एचएच) में विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार औसत घंटे											
	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति
1	आंध्र प्रदेश	22.12	23.97	23.63	23.92	23.57	23.93	23.58	23.89	23.51	23.88
2	अरुणाचल प्रदेश#						22.78		22.73		
3	असम#		23.73		23.80		23.32		23.67		23.59
4	बिहार	21.22		21.85	23.13	21.90	23.41	20.34	23.55	20.10	23.40
5	छत्तीसगढ़		23.77		23.98	21.33	23.87	21.25	23.82	21.59	23.83
6	दिल्ली*								24.00		24.00
7	गोवा				22.75		23.75		23.78		23.82
8	गुजरात	23.78	23.95	23.12	23.95	23.56	23.96	23.50	23.96	23.83	23.97
9	हरियाणा	19.62	23.28	19.23	23.27	17.12	23.62	16.26	23.63	19.40	23.63
10	हिमाचल प्रदेश	15.82		15.65	23.85	14.27	23.87	13.27	23.90	12.85	23.90
11	जम्मू एवं कश्मीर#						21.54		22.28		22.50
12	कर्नाटक	17.63	23.93	17.22	23.83	17.55	23.75	17.56	23.59	19.05	23.82
13	केरल	21.22		21.97	23.98	21.00	23.93	19.62	23.93		23.95
14	मध्य प्रदेश	23.33	23.70	23.03	23.85	19.62	23.94	19.35	23.88	20.66	23.60
15	महाराष्ट्र		23.95	20.45	23.97	20.80	23.95	23.17	23.99	23.85	23.99
16	मेघालय#		23.95		23.98		23.90		23.93		23.93
17	मणिपुर#						23.55		23.65		
18	मिज़ोरम#		23.73		23.67		23.57		23.87		
19	नागालैंड#				23.50		23.48		23.45		
20	ओडिशा	20.13		20.02	23.65	21.03	23.67	23.22	23.65		24.00
21	पुदुचेरी	22.10		20.45		20.30		20.30			
22	पंजाब	23.27	23.78	23.17	23.72	21.33	23.50	22.12	23.68		23.68
23	राजस्थान	21.30	23.92	21.30	23.88	20.58	23.91	21.29	23.89	21.42	23.86
24	तमिलनाडु	20.77		20.97	23.97	21.95	23.98	22.15	23.98		23.96
25	तेलंगाना	22.05		22.22	23.92	22.00	23.92	21.94	23.93	21.79	23.91
26	त्रिपुरा	19.68		19.55		19.57	23.92	19.93	23.90	19.66	23.89
27	उत्तर प्रदेश	19.10	23.15	17.03	23.57	16.28	23.47	15.99	23.42	16.15	23.54
28	उत्तराखंड	21.40	23.47	21.67	23.40	21.95	23.68	21.57	23.62	21.39	23.57
29	पश्चिम बंगाल	18.18	23.97	23.07	23.97	22.97	23.77	23.48	23.82	23.33	23.85
	अखिल भारतीय कुल	**20.7**	**23.8**	**20.8**	**23.7**	**20.5**	**23.8**	**20.5**	**23.8**	**20.6**	**23.8**

टिप्पणी 1: # केवल शहरी आंकड़े उपलब्ध हैं। साथ ही, रिक्त स्थान के साथ दिखाए गए राज्य इंगित करते हैं कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी 2: सूची में मौजूद नहीं होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनपीपी पर मैप नहीं किया जाता है

टिप्पणी 3: * दिल्ली को अप्रैल 2021 में एनपीपी में शामिल किया गया है। इसलिए विगत वित्तीय वर्ष के आंकड़े एनपीपी पर उपलब्ध नहीं है।

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के अंतर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	मात्रा		
			अवार्ड की गई	उपलब्धि	उपलब्धि %
1	33/11 केवी नए सब-स्टेशन	संख्या	994	994	100%
2	33/11 केवी सब-स्टेशन संवर्धन	संख्या	1610	1609	99%
3	एचटी लाइनें	सीकेएम	23494	23474	99%
4	एलटी लाइनें	सीकेएम	10428	10410	99%
5	एरियल बंच	सीकेएम	64275	64242	99%
6	भूमिगत केबल	सीकेएम	22220	21981	98%
7	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	60000	59992	99%
8	स्मार्ट मीटर	संख्या	156441	156441	100%
9	प्रीपेड मीटर	संख्या	119916	119916	100%
10	उपभोक्ता मीटर	संख्या	8578812	8576100	99%
11	फीडर मीटर	संख्या	7807	7797	100%
12	डीटी मीटर	संख्या	103939	103722	99%
13	बाउंडरी मीटर	संख्या	3593	3590	99%
14	सौर पैनल	केडब्ल्यूपी	46298	46151	99%

उपरोक्त के अतिरिक्त, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में भाग लेने वाले राज्यों की 6 यूटिलिटियों के लिए स्मार्ट मीटरों को भी आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृति दी गई है। कुल 6,54,016 स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1292

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

राज्य विद्युत संयंत्रों को कार्यशील पूंजी और ईंधन

1292. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई राज्य विद्युत संयंत्र संकट में हैं और उन्हें कोयला खरीदने और विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विद्युत संयंत्रों को पावर फाइनेंस कारपोरेशन और आरईसी लिमिटेड से अल्पावधि ऋण की पेशकश की की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण कितने राज्यों में विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कम हो गई है और उन्हें ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या विद्युत संयंत्र विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : दिनांक 03 जून, 2022 को प्रकाशित विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार तथा संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के पश्चात् उत्पादन कंपनियों की देय राशियों की वसूली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्राप्ति पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, उत्पादन कंपनियों को राज्यों की कुल बकाया देय राशियां, जो दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 1,20,540 करोड़ रूपये थीं, बारह (12) बराबर मासिक किस्तों (ईएमआई) के समय से भुगतान के कारण, दिनांक 24.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, घटकर 61,025 करोड़ रूपये रह गई हैं। वितरण कंपनियां भी नियम के अंतर्गत विनियमनों से बचने के लिए वर्तमान देय राशियों का समय से भुगतान कर रही हैं। तथापि, कुछ राज्य जेनकोज ने अपनी देय राशियों की वसूली के लंबित रहते कोयले की खरीद के लिए पीएफसी तथा आरईसी से कार्यशील पूंजीगत सहायता की मांग की है।

(घ) : विभिन्न राज्य यूटिलिटियां ऋणों की संस्वीकृति के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से संपर्क कर रही हैं। आरईसी ने कोयले की खरीद के लिए विभिन्न यूटिलिटियों को ऋण संबंधी सहायता प्रदान की है। इसके ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

साथ ही, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की यह नीति है जिसमें विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त विवेकसम्मत मापदंडों के अनुपालन के अध्यधीन कोयला खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी की मांग करने वाले राज्य विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि ऋण संस्वीकृत करने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफसी ने कोयले की खरीद के लिए विभिन्न राज्य क्षेत्रीय जेनकोज को ऋण संस्वीकृत किए थे। इसके ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ङ) : दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, 180 घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक 34.6 मिलियन टन (एमटी) था, जबकि दिनाकं 17.07.2023 को, यह 33.4 एमटी था जो इन संयंत्रों को 85% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) पर औसतन 13 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, 57 राज्य क्षेत्रीय संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 9.6 एमटी था, जो इन संयंत्रों को 85% पीएलएफ पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। अतएव, राज्य क्षेत्रीय संयंत्रों में कोयले की कोई कमी नहीं है। तथापि, संयंत्र पर कोयले का स्टॉक कोयले की खपत और प्राप्ति के बीच अंतर के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में संकटपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किन्हीं आकस्मिक स्थितियों के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
ii. कोयला स्टॉकों की निगरानी के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।
iii. सरकार ने संशोधित कोयला भंडारण मापदंड जारी किए हैं, जिसमें विद्युत संयंत्रों को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया गया है।
iv. विद्युत यूटिलिटियां अपनी आवश्यकता के साथ-साथ लागत-अर्थव्यवस्था पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती रही हैं। विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय/राज्य जेनकोज तथा आईपीपीज को दिनांक 09.01.2023 के आदेश द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से भार द्वारा 06% की दर से मिश्रण हेतु कोयला आयात करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया है ताकि उनके विद्युत संयंत्रों में सितम्बर, 2023 तक सुचारु प्रचालन के लिए पर्याप्त स्टॉक बना रहे।
v. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, लगभग 8800 कोयला ढोने वाले वैगनों (लगभग 150 रेक) का नेट इंडक्शन किया गया था। वर्ष 2023-24 के अनुसार, कोयला ढोने वाले रेक्स का संभावित नेट इंडक्शन लगभग 200 रेक्स का होगा, जिससे कोयले की लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रेक/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 70 मिलियन

टन (एमटी) की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में कोयला ढोने वाले रेक्स का नेट इंडक्शन लगभग 250 रेक्स का होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त 60 रेक्स/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगक्षग 85 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।

vi. रेलवे ने कोयला निकासी के संवर्धन के लिए 40 परियोजनाएं अभिचिन्हित की हैं। इन 40 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और 23 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन 23 परियोजनाओं में से वर्ष 2026-27 तक 18 परियोजनाओं के पूरे होने की संभावना है।

vii. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 185 एमटी वृद्धि होने की संभावना है।

viii. पर्याप्त कोयला सुनिश्चित करने के लिए, कैप्टिव कोयला खदान उत्पादन का लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के 102.69 एमटी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 141 मिलियन टन का रखा गया है।

(च) : वर्ष 2022-23 के दौरान 25 मेगावाट (एमडब्ल्यू) और उससे अधिक क्षमता के कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 64.15% था। वर्ष 2023-24 में, विद्युत की मांग बढ़ी है और विद्युत संयंत्र उन्हें दिए गए शैड्यूल के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 (जून, 2023 तक) में कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ लगभग 70.02% है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1292 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कोयले की खरीद के लिए आरईसी द्वारा संस्वीकृत ऋण

क्र.सं.	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**संस्वीकृत ऋण (करोड़ रूपये)**	**वितरित ऋण (करोड़ रूपये)**
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल)	1800	1800
2.	राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	1500	1000
3.	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	400	400
4.	हरियाणा	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	1000	810
5.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	2500	2000
6.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	3612.5	812.5
7.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (डीपीएल)	300	300
कुल			**11112.5**	**7122.5**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1292 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कोयले की खरीद के लिए पीएफसी द्वारा संस्वीकृत ऋण

क्र.सं.	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**संस्वीकृत ऋण (करोड़ रूपये)**	**वितरित ऋण (करोड़ रूपये)**
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल)	2749	2749
2.	राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	500	500
3.	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	400	400
4.	हरियाणा	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	1000	500
5.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	1500	1500
6.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	563	200
कुल			**6712**	**5849**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1300

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

दामोदर घाटी निगम द्वारा सोने के सिक्कों का वितरण

1300. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने अपने 75वें स्थापना दिवस पर अपने सभी कर्मचारियों को 36 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले सोने के सिक्के (10 ग्राम/24 कैरेट) वितरित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के बीच वितरण हेतु सोने के सिक्कों की खरीद के लिए दिनांक 4 सितंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 7(2)/(ई)कॉर्डि./2020 के माध्यम से परिचालित ऐसे व्यय पर प्रतिबंध के मद्देनजर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का अनुमोदन लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय इस मामले में कोई जांच और आगे की कार्रवाई शुरू करेगा;

(घ) क्या खरीदे गए सोने के सिक्कों को आईएस 1417:2016 के अनुसार हॉलमार्क नहीं किया गया था और डीवीसी के खरीद आदेश में उल्लिखित विनिर्दिष्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दामोदर घाटी निगम ने कर्मचारियों से यह वचनपत्र लिया था कि उन्हें प्राप्त सोने का सिक्का 10 ग्राम/24 कैरेट का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : डीवीसी बोर्ड ने, अपने प्रारंभ के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए, सभी कर्मचारियों को, जो दिनांक 07.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, निगम में कार्यरत थे, संगठन को प्रदान की गई उनकी सेवाओं के लिए आभार स्वरूप प्रतीक के रूप में और उन्हें संगठन की और प्रगति एवं विकास के लिए पुनः समर्पित होने हेतु प्रेरित करने के लिए भी, सोने के सिक्के वितरित करने का निर्णय लिया।

(ख) और (ग) : उक्त सोने के सिक्कों (10 ग्राम/24 कैरट) के वितरण के लिए, डीवीसी बोर्ड ने दिनांक 20.05.2022 को आयोजित 657वीं बैठक में विधिवत अनुमोदन लिया गया था। व्यय विभाग का दिनांक 04 सितम्बर, 2020 का कार्यालय ज्ञापन प्राथमिकता व्यय को संरक्षित एवं सुरक्षित रखते हुए किफायत और गैर प्राथमिकता व्यय के युक्तिकरण के संबंध में है। डीवीसी का 75वां स्थापना दिवस डीवीसी के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी।

(घ) : ये सोने के सिक्के भारत सरकार टकसाल, कोलकाता से खरीदे गए थे और, अनुमोदित विनिर्देशनों के अनुसार, 999 उत्कृष्टता (24 कैरट) के थे। भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने प्रमाणित किया था कि "*भारत सरकार टकसाल, कोलकाता द्वारा दामोदर घाटी निगम को दिनांक 26.09.2022 के क्रय आदेश सं. सीपी/एसईसीटी-एचक्यू/गोल्डकोयन/2022-23/553012 के निमित्त आपूर्ति किए गए सोने के सिक्कों की भार एवं शुद्धता के संबंध में पॉजिटिव टालरेंस है*"।

(ङ) : डीवीसी के प्रत्येक पात्र कर्मचारी को, 999 उत्कृष्टता (24 कैरेट) के रूप में अधिसूचित सोने के सिक्के, वितरित किए गए थे और ऐसे प्रत्येक कर्मचारी से पावती रसीद ली गई थी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1313

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

ग्राम उजाला योजना का कार्यान्वयन

1313. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्राम उजाला योजना लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना को प्रथम चरण में शामिल करने के लिए राजस्थान में किन-किन जिलों को चिह्नित किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के बारे में लाभार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में कितने गांवों और ढाणियों को उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : ग्राम उजाला स्कीम कनवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा कार्यान्वित की गई है। ग्राम उजाला स्कीम के अंतर्गत, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब संवितरित किए गए हैं। उक्त राज्यों में एलईडी बल्बों के वितरण के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.	राज्य	संवितरित एलईडी बल्ब
1.	उत्तर प्रदेश	46,34,219
2.	बिहार	37,62,058
3.	आंध्र प्रदेश	5,59,030
4.	तेलंगाना	5,67,380
5.	कर्नाटक	4,77,335
	कुल	**1,00,00,022**

ग्राम उजाला स्कीम राजस्थान राज्य में कार्यान्वित नहीं की गई है। सीईएसएल/प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों जैसे स्थानीय/राष्ट्रीय मीडिया आउटरीच के बीच एलईडी बल्बों के प्रयोग, टीवी/रेडियो तथा बैनरों, पोस्टरों, पत्रकों आदि जैसे मीडिया के अन्य साधनों के माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न जागरूकता क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। ग्राम उजाला के मार्गदर्शन में संवितरण पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में, किसी प्रकार का संवितरण क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1321

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

विद्युत वितरण कंपनियों में लंबित बकाया राशि

1321. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों अथवा राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत वितरकों की वित्तीय बकाया राशि में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 2023 तक विद्युत वितरण कंपनियों के पास लंबित अनुमानित बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की बकाया राशि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन पांच राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर विद्युत वितरण कंपनियों का बकाया सबसे अधिक है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत (एलपीएस तथा संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन से, उत्पादक और पारेषण कंपनियों सहित आपूर्तिकर्ताओं की बकाया देय राशियों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों की कुल बकाया देयराशियां 1,39,747 करोड़ रुपये थीं, जो बारह (12) ईएमआई के समय पर भुगतान के साथ कम होकर 69,957 करोड़ रुपये हो गई हैं। नियम के अंतर्गत, विनियमनों से बचने के लिए वितरण कंपनियां भी अपने मौजूदा बकाया का भुगतान समय पर कर रही हैं।

प्राप्ति पोर्टल के अनुसार, विगत 3 वर्षों में जेनकोज़ की देय राशियों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार है:

वर्ष	जेनको की देयराशियां (करोड़ रुपये)
अप्रैल, 2021 तक की स्थिति के अनुसार जेनको की शेष पिछली देयराशियां	83,161
अप्रैल, 2022 तक की स्थिति के अनुसार जेनको की शेष पिछली देयराशियां	1,03,725
दिनांक 03.06.2022 (एलपीएस नियमों के कार्यान्वयन की तिथि) तक की स्थिति के अनुसार जेनको की शेष पिछली देयराशियां	1,20,540 (ट्रांसकोज़ और व्यापारियों की देयराशियों सहित 1,39,747 करोड़ रुपये)
12 ईएमआई के भुगतान के पश्चात, दिनांक 24.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार जेनको की शेष पिछली देयराशियां	61,025 (ट्रांसकोज़ और व्यापारियों की देयराशियों सहित 69,957 करोड़ रुपये)

(ख) : प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं पर विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की कुल देय राशियां निम्न प्रकार थीं:

आपूर्तिकर्ता को भुगतान की जाने वाली डिस्कॉमों की देय राशियों का सार*		
क्र. सं.	**विवरण**	**करोड़ रुपए में**
1	11 ईएमआई के भुगतान के पश्चात, दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार शेष पिछली देय राशियां	75,535
2	दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान देयराशियां (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)	44,386

*आपूर्तिकर्ताओं से अभिप्राय उत्पादन कंपनियों, पारेषण कंपनियों और व्यापारियों से है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : डिस्कॉमों से उत्पादन कंपनियों की बकाया प्राप्य राशियों से उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह संबंधी समस्याओं की पहचान करते हुए और विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में मूल भुगतान संबंधी व्यवस्था को बढ़ाने की दृष्टि से, जेनकोस की बढ़ती हुई प्राप्य राशियों के कारण, जिनका रख-रखाव चिंता का विषय है, पूर्व में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 अधिनियमित किए हैं। इन नियमों में डिस्कॉमों के लिए, दिनांक 03.06.2022 को विद्यमान अपनी पिछली देय राशियों का समयबद्ध ढंग से, बराबर मासिक किस्तों में, दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंबित भुगतान अधिभार की गैर-प्रयोज्यता के लाभों सहित, निपटान करने की बाध्यता की गई है। इन नियमों में वर्तमान देय राशियों के समयबद्ध निपटान और पहुंच की क्रमिक निकासी के निरुत्साहन के साथ-साथ विद्युत विनियमों के लिए, यदि इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो, कार्य ढांचों का प्रावधान किया गया है। डिस्कॉम उत्पादन कंपनियों को अपनी देय राशियों का भुगतान करने के लिए पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉमों का मूल्यांकन करने के लिए परिणाम मूल्यांकन कार्यढांचे के अंतर्गत डिस्कॉमों द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉमों/ट्रांसकोज़/जेनकोज़ को कार्यशील पूंजी ऋण की मंजूरी के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड पेश किए हैं। इनमें अनिवार्य रूप से यह शामिल है कि डिस्कॉमों और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों को ऋण निर्धारित शर्तों के निमित्त उनके कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर होगा। विवेकपूर्ण मानदंडों में, अन्य शर्तों के अलावा, डिस्कॉमों द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने अन्य सभी वित्तीय संस्थानों/बैंकों से भी अनुरोध किया है कि वे डिस्कॉमों/ट्रांसकोज़/जेनकोज़ को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए संशोधित अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाएं और कार्यान्वित करें।

(घ) : दिनांक 24.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉमों पर सबसे अधिक देयराशि वाले शीर्ष पांच राज्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**12 ईएमआई के पश्चात, शेष पिछली देयराशियां (करोड़ रुपये में)**	**वर्तमान देयराशियां (करोड़ रुपये में)**
1	तमिलनाडु	12,560	5,118
2	महाराष्ट्र	12,595	2,713
3	कर्नाटक	9,655	2,365
4	राजस्थान	8,452	1,711
5	जम्मू व कश्मीर	6,376	426

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1321 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	राज्य	11वीं ईएमआई के पश्चात, दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार शेष पिछली देयराशियां (करोड़ रुपये में)	दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान देयराशियां
1	महाराष्ट्र	12,989	19,890
2	तमिलनाडु	12,925	5,969
3	कर्नाटक	9,920	1,992
4	राजस्थान	9,219	1,944
5	उत्तर प्रदेश	4,903	2,892
6	जम्मू व कश्मीर	6,869	181
7	तेलंगाना	4,315	2,364
8	मध्य प्रदेश	6,164	492
9	आंध्र प्रदेश	1,975	1,583
10	झारखंड	3,144	233
11	छत्तीसगढ़	3,018	174
12	पंजाब	-	2,152
13	गुजरात	-	1,690
14	दिल्ली	-	614
15	बिहार	80	467
16	ओडिशा	-	527
17	हरियाणा	-	394
18	पश्चिम बंगाल	-	163
19	त्रिपुरा	-	151
20	केरल	-	129
21	हिमाचल प्रदेश	-	91
22	दादरा एवं नागर हवेली	-	90
23	मणिपुर	14	57
24	मेघालय	-	35
25	मिजोरम	-	30
26	असम	-	27
27	चंडीगढ़	-	19
28	उत्तराखंड	-	16
29	नागालैंड	-	8
30	पुडुचेरी	-	7
31	सिक्किम	-	5
	कुल	**75,535**	**44,386**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1348
जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

1348. श्री सौमित्र खान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सौभाग्य योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण कब आरंभ किया गया था और अपनाई गई चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के आरंभ से मार्च, 2023 तक पूरे देश में लाभांवित हुए पात्र व्यक्तियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर पश्चिम बंगाल में संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष 2020 से 2022 तक पश्चिम बंगाल में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान किए गए विद्युत कनेक्शनों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा जिला और वर्ष-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन,वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण, ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुंच तथा बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने सहित वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की।

तत्पश्चात, भारत सरकार ने अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य देश में सभी गैर- विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है।

सौभाग्य के अंतर्गत, सभी गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जबकि गैर-गरीब ग्रामीण घरों के लिए, डिस्कॉम/विद्युत विभाग द्वारा लाभार्थी से उनके बाद के विद्युत बिलों में दस समान किस्तों में 500 रुपए की राशि वसूली जानी थी।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर सितंबर, 2017 तक डीडीयूजीजेवाई राज्य-वार (पश्चिम बंगाल सहित) के अंतर्गत विद्युतीकृत बीपीएल घरों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर 2017 में सौभाग्य की शुरुआत से लेकर दिनांक 31.03.2022 की स्थिति अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अतिरिक्त घरों सहित विद्युतीकृत घरों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। ये दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गईं।

(घ) : पश्चिम बंगाल राज्य ने दिनांक 31.03.2019 तक सौभाग्य के अंतर्गत सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, राज्य में कुल 7,32,290 घरों का विद्युतीकरण किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया है। पिछली किस्तों में जारी निधियों के रिपोर्ट किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किस्तों में निधियां जारी की गईं थी। वित्तीय वर्ष 2020 से 2022 तक पश्चिम बंगाल राज्य को क्रमशः सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपये में)

स्कीम	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**कुल**
डीडीयूजीजेवाई	149	509	658
सौभाग्य	16	46	62

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1348 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015 से सितंबर 2017 तक विद्युतीकृत कुल बीपीएल घरों की राज्य-वार उपलब्धि		
क्रम संख्या	**राज्य**	**विद्युतीकृत कुल घर बीपीएल**
1	आंध्र प्रदेश	664851
2	असम	101537
3	बिहार	1976832
4	छत्तीसगढ़	63756
5	गुजरात	813
6	जम्मू एवं कश्मीर	1133
7	झारखंड	12391
8	कर्नाटक	98821
9	केरल	24993
10	मध्य प्रदेश	561262
11	महाराष्ट्र	59
12	मेघालय	95
13	मिजोरम	447
14	नागालैंड	507
15	ओडिशा	103857
16	राजस्थान	149854
17	सिक्किम	1850
18	तमिलनाडु	1976
19	तेलंगाना	849
20	त्रिपुरा	41759
21	उत्तर प्रदेश	1082986
22	उत्तराखंड	46
23	पश्चिम बंगाल	34450
	कुल	**4925124**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1348 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित, घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र.सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त मंजूरी की अनुमति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त अतिरिक्त परिवारों को मंजूरी दी गई	कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक कुल विद्युतीकृत घर (क)	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक)(ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930		181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041		3,259,041
5	छतीसगढ	749,397	40,394	789,791	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317		41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681		54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891		12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045		377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708		1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798		383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456		10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922		1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970		27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444		2,452,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912		912
21	पंजाब	3,477	0	3,477		3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900		14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170		2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084		515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090		139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751		248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290		732,290
कुल		**26,284,350**	**1,885,374**	**28,169,724**	**443,700**	**28,613,424**
*सौभाग्य से पहले विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं						

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1365

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

बिजली की कमी

1365. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बिजली की अधिक खपत के कारण इसकी कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य-वार क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्तीय बाधाएं**,** वाणिज्यिक कारण आदि जैसे डिस्कॉमों से जुड़े कारकों के कारण ऊर्जा की आवश्यकता तथा की गई ऊर्जा आपूर्ति के बीच नगण्य अंतर है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2023 तक) के लिए अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए है।

(ग) : विद्युत का प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की थी।

(ii) भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से दिनांक **20** जुलाई**,** 2021 को "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)-सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम" की शुरुआत की है। यह स्कीम वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

(iii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उप-पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करते हुए उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीनदयाल उपाध्यय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी स्कीमें कार्यान्वित कीं।

(iv) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और घरों द्वारा ईलेक्ट्रिक कुकिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया गया था। इन दो पहलों ने ई-मोबिलिटी तथा ई-कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है और देश में परिवहन तथा कुकिंग के लिए विद्युत के उपयोग को बढ़ावा देने की संभावना है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1365 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2023 तक) के लिए अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू)]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति न की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2020-21	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4
2021-22	1,379,812	1,374,024	5,787	0.4
2022-23	1,511,847	1,504,264	7,583	0.5
2023-24 (जून, 2023 तक)*	4,08,621	4,07,762	858	0.2

(*)-अनंतिम

****